

घटना घटना

सत्य के साथ... जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर, त्रिभुवन 22, अंक - 102- बुधवार 11- फरवरी 2026, पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रुपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050, डाक पंजीकरण क्र. 13/Surguja DN/ 2026-2028

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश, 118 सांसदों के हस्ताक्षर

अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला होने तक सदन में नहीं आएंगे लोकसभा स्पीकर बिरला

नई दिल्ली, 10 फरवरी 2026। कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की औपचारिक पहल कर दी है। पार्टी ने इस संबंध में लोकसभा महासचिव को नोटिस सौंपा है, जिस पर कुल 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। यह प्रस्ताव लोकसभा के नियम 94(सी) के तहत दायित्व किया गया है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिस मिलने की पुष्टि करते हुए कहा है कि नियमों के अनुरूप इसकी जांच के बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब संसद के मौजूदा सत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच टकराव चरम पर है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन में बोलने का अवसर नहीं दिया गया। इसके अलावा, कांग्रेस की महिला सांसदों के साथ कथित रूप से अनुचित व्यवहार का मुद्दा भी विपक्ष द्वारा उठाया गया है। विपक्ष का कहना है कि लोकसभा में विपक्षी नेताओं को अपनी बात रखने से रोका जा रहा है, जबकि सत्तापक्ष के सदस्यों को खुलकर बोलने की छूट दी जा रही है। सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि ओम बिरला अब लोकसभा नहीं जाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के बाद ही वह स्पीकर की चेयर संभालेंगे। एंजेंसी के मुताबिक विपक्ष के



रिजिज्ज बोलें... कोई प्रभाव नहीं पड़ता ऐसे अविश्वास से...

इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिज्ज ने कहा कि ऐसे अविश्वास प्रस्ताव से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि विपक्ष के पास आवश्यक संख्या बल नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने सदन में अनुशासनहीनता दिखाई और स्पीकर के पद की मर्यादा का उल्लंघन किया। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे स्पीकर से किसी विशेष कार्रवाई की मांग नहीं कर रहे हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि सरकारी कंपनियों को वे सरकार बेच रही है। पीएम कहते हैं कि ना खाउंगा ना खाने दूंगा और वही पार्टी खुद वॉशिंग मशीन बन गई है। वे केवल अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसी क्षेत्र में काम नहीं कर पा रही है। वे खर्च ही नहीं कर रहे हैं। सरकार की कोई ऑथेंटिसिटी ही नहीं रह गई है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने संसद में बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि युवाओं और महिलाओं को लेकर सरकार की नियत में ही खोटा है। वे सरकार लोगों के बीच डेट बढ़ा रही है। वे अपने भाषण में लोगों को भड़काते हैं।

अखिलेश यादव बोलें... नए लेबर कोड लेबर के ही पक्ष में नहीं है

अखिलेश यादव ने कहा... कि इस डील और डील के बाद रुपये का क्या हाल होगा सरकार बताए। यादव ने कहा कि सरकार उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। वे लेबरकोड लाए जो लेबर के पक्ष में ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार अपना आवॉरिटेड बजट ही खर्च नहीं कर रही है। पीएम ने गोद लिए गांव को अनाथ छोड़ दिया। सरकार भरे सवालों का जवाब दे। सभी क्षेत्र की रैकिंग में हम काफी नीचे आ गए हैं। 2047 तक विकसित भारत तो नहीं बनेगा लेकिन गरीबों के साथ बहुत अन्याय होगा।

अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में 9 मार्च को चर्चा हो सकती है।

विपक्षी दलों की हुई अहम बैठक : इससे पहले मंगलवार सुबह संसद परिसर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कक्ष में विपक्षी दलों की अहम बैठक हुई थी। बैठक में तुमूल कांग्रेस, जाम दल, डीएमके, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (शरद पवार गुट) सहित कई दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई।

सांसद पप्पू यादव को पटना कोर्ट से जमानत 31 साल पुराने मामले में हुई थी गिरफ्तारी



पटना, 10 फरवरी 2026। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को पटना के कोर्ट से जमानत मिल गई। सिविल कोर्ट के एसीजेएम-1 की कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी। पटना सिविल कोर्ट में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। कोर्ट के अंदर आने-जाने वाले हर व्यक्ति की बारिकी से जांच की जा रही है। अभी कल ही पटना सिविल कोर्ट बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। जिसे लेकर पटना सिविल कोर्ट में गहमागहमी का माहौल है। कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चप्पे-चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है।

खाली करवा कर चेकिंग की गई थी। इससे न्यायिक कामकाज भी बाधित हुए। जिसके चलते पप्पू यादव की याचिका पर भी सुनवाई नहीं हो पाई। जेल से बाहर आने के लिए सांसद पप्पू यादव का इंतजार बढ़ गया था। मगर, आज का उनके लिए खुशिया लेंकर आया।

पप्पू यादव की क्यों हुई थी गिरफ्तारी?

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को 6 फरवरी 2026 को पटना के 31 साल पुराने धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। ये मामला साल 1995 का है, जो पटना के गर्दनीबाग थाने में दर्ज हुआ था।

शिकायतकर्ता विनोद बिहारी लाल ने आरोप लगाया था कि पप्पू यादव और उनके सहयोगियों ने उनका मकान व्यक्तिगत उपयोग के नाम पर किराए पर लिया था, लेकिन बाद में उसका इस्तेमाल धोखे से सांसद के कार्यालय के रूप में किया जाने लगा। इस मामले में धारा 467 (दस्तावेजों की जालसाजी) समेत अन्य गंभीर धाराएं लगी थीं।

तीन दशक पुराने केस में हुई थी गिरफ्तारी

दरअसल, करीब तीन दशक पुराने एक मामले में गिरफ्तारी के बाद से सांसद पप्पू यादव पटना के बेकर जेल में कैद थे। पप्पू यादव की जमानत याचिका पर कोर्ट में सोमवार को ही सुनवाई होनी थी। लेकिन अचानक पटना सिविल कोर्ट में बम रखने जाने की सूचना ईमेल से आई, जिसके बाद वहां अफरातफरी का माहौल हो गया। पटना पुलिस इसकी जांच-पड़ताल में जुट गई। कोर्ट परिसर को

किताब 'फोर स्टार्स ऑफ डेरिस्टनी' पर जनरल नरवणे की पहली प्रतिक्रिया, पेंगुइन के बयान को सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

नई दिल्ली, 10 फरवरी 2026। पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी पुस्तक 'फोर स्टार्स ऑफ डेरिस्टनी' को लेकर पहली बार सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी है। जनरल नरवणे ने इस संबंध में पेंगुइन इंडिया की ओर से जारी बयान को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। प्रकाशन ने कहा था कि कंपनी द्वारा पुस्तक की कोई भी प्रति 'मुद्रित या डिजिटल रूप में' प्रकाशित, वितरित, बेची या किसी अन्य तरीके से जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है। अब पेंगुइन इंडिया को टवीट पर रिट्वीट करते हुए जनरल एमएम नरवणे ने एक्स पर लिखा कि यह किताब की स्थिति है। इसी बीच प्रकाशन की ओर से एक अन्य बयान भी जारी किया गया है। जिसमें प्रकाशक ने कहा है कि किसी किताब या उसके प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध होने की घोषणा को पब्लिकेशन नहीं माना जाना चाहिए। इसके साथ पब्लिकेशन एक्स ने कहा है कि प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध किताब और पब्लिशर हुई किताब एक ही बात नहीं है। 'पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया' (पीआरएचआई) ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के संस्मरण 'फोर स्टार्स ऑफ डेरिस्टनी' की अनधिकृत प्रतियां उपलब्ध होने की खबरों के बीच कहा है कि इसके प्रकाशन का अधिकार केवल उसके पास है और यह पुस्तक अब तक प्रकाशित नहीं हुई है। इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक के सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।



असम सीएम हिमंत सरमा ने गोगोई पर ठोका 500 करोड़ रुपये का मानहानि का दावा, आरोपों पर किया पलटवार

नई दिल्ली, 10 फरवरी 2026। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठ और दुर्भावपूर्ण बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे आरोप उनकी छवि खराब करने के इरादे से लगाए गए हैं। इन आरोपों के खिलाफ मुख्यमंत्री सरमा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और दो अन्य लोगों के खिलाफ 500 करोड़ रुपये का मानहानि (डिफेमेशन) का केस दर्ज कराया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि कांग्रेस नेताओं ने बिना किसी सबूत के गंभीर आरोप लगाए, जिससे उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने साफ कहा कि वह इस मामले में कानूनी रास्ते से जवाब देंगे। सरमा ने कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन झूठे आरोप लगाना गलत है। इसलिए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर आरोप लगाया कि 12,000 बीघा जमीन का मुद्दा सामने आने और लोगों के नए बोर असम की मांग को लेकर उनके खिलाफ पुराने राष्ट्रविरोधी आरोपों को हवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि समय परिवर्तन मात्रा से कथित 12,000 बीघा जमीन हड़पने का मामला उजागर हो रहा है। गोगोई ने पत्रकारों से कहा कि पहले मैंने भी कहा था कि यह असफल होगा; यह असफल नहीं, बल्कि बेहद असफल है।



चुनाव से पहले युवाओं के खाते में 15 सौ रुपये देगी ममता सरकार

कोलकाता, 10 फरवरी 2026। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को राज्य सचिवालय नवानन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंतरिम बजट में घोषित 'युवसाथी' योजना को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार यह योजना अब एक अप्रैल से लागू करेगी। इसके तहत राज्य के 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 15 सौ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले यह योजना 15 अप्रैल से शुरू करने का निर्णय लिया गया था लेकिन नया आर्थिक वर्ष एक अप्रैल से शुरू होता है इसलिए उसी दिन से योजना लागू करने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इस योजना का लाभ उन्हीं युवाओं को मिलेगा, जिन्होंने माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है और जो वर्तमान में बेरोजगार हैं। यह भत्ता अधिकतम पांच वर्षों तक दिया जाएगा।



बाबरी ढांचा कयामत के दिन तक नहीं बनेगा... जो कानून तोड़ेगा उसे जहन्नुम मिलेगा, कायदे से रहना सीख लो : योगी

बाराबंकी, 10 फरवरी 2026। कयामत की रात कभी नहीं आएगी, इसलिए बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कभी संभव नहीं है। जो लोग कयामत के दिन का सपना देख रहे हैं, वे ऐसे ही सड़-गल जाएंगे। ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे कि कयामत के दिन के लिए मत जियो। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, क्योंकि कायदे में रहने तो फायदे में रहेंगे। जो कानून तोड़ेगा, वो सीधे जहन्नुम में जाएगा। यह बात सीएम योगी ने मंगलवार को बाराबंकी में कही। उन्होंने कहा... ये डबल इंजन की सरकार है। हम लोगों ने कहा था ना, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बन गया न मंदिर। कोई संदेह है। राम को भूल जाते हैं, इसलिए भगवान राम भी उनको भूल चुके हैं। अब उनकी नैया कभी पर नहीं होगी। उन्हें अभी आगे नहीं बढ़ना। रामदोशियों के लिए अब कोई जगह नहीं। जो रामभक्तों पर गोली चला रहे थे, अब इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं। राम सबके हैं, इसमें भेद नहीं। कुछ अवसरवादी राम को भूल जाते हैं।



मोदीजी आए तो गरीबों को घर मिले

योगी ने कहा... पहले गरीबों के घर नहीं बन पाए। मोदीजी आए तो यूपी के 60 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिले। पहले गांवों में बिजली नहीं थी, सड़कों पर गंदगी थी। अब घर-घर शौचालय बन गए। साफ पानी मुहैया कराया जा रहा है। पहले बिजली नहीं मिलती थी। कुछ चुनिंदा जिलों को ही बिजली मिलती थी। अब सभी 75 जिलों को बिजली मिल रही। पहले की सरकारों में शौचालय नहीं थे। लोगों को मुंह बंद करके खेतों में जाना पड़ता था। आज हर घर में शौचालय है। अब बहन-बेटियों को बाहर नहीं पड़ता। बेटियों के जन्म से लेकर शादी का खर्च भी सरकार कर रही है। ये समाज की जिम्मेदारी है।

असम में फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश... 2.43 लाख नाम हटे राज्य में अब 2.49 करोड़ वोटर्स, यहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं

गुवाहटी, 10 फरवरी 2026। चुनाव आयोग ने मंगलवार को असम में हुए स्पेशल रिवीजन 2026 के तहत फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी। चुनाव आयोग के मुताबिक, ड्रॉपट वोटर लिस्ट की तुलना में 2.43 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। अब राज्य में कुल 2,49,58,139 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। ड्रॉपट वोटर लिस्ट में मतदाताओं की संख्या 2,52,01,624 थी। स्पेशल रिवीजन प्रक्रिया के बाद लिस्ट में 2,43,485 नाम हटाए गए हैं। अब फाइनल लिस्ट में 1,24,82,213 पुरुष, 1,24,75,583 महिलाएं और 3,43 थर्ड-जेंडर शामिल हैं। स्पेशल रिवीजन की इंटीग्रेटेड ड्रॉपट वोटर लिस्ट 27 दिसंबर 2025 को पब्लिश हुई थी। इस पर



27 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां करने का समय था। असम की 126 विधानसभा सीटों पर अगले तीन महीनों में चुनाव होने हैं। असम 22 नवंबर से

20 दिसंबर 2025 तक पूरे राज्य में घर-घर वॉरिफिकेशन अभियान चलाया गया था। इससे पहले चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटीग्रेटेड रिवीजन की टाइमलाइन में बदलाव करते हुए फाइनल पब्लिकेशन की तारीख 14 फरवरी 2026 तक बढ़ा दी थी। आयोग ने यह फैसला बड़े पैमाने पर गणना कार्य और पोलिंग स्टेशनों के वॉरिफिकेशन व रैशनलाइजेशन की जरूरत को देखते हुए लिया था। चुनाव आयोग ने दोहराया है कि सभी नागरिकों को SIR प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए, ताकि सटीक और अपडेटेड इलेक्टोरल रोल सुनिश्चित किए जा सकें, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की बुनियाद है।

बाबा सिद्दीकी हत्याकांड : मुंबई की कोर्ट ने 27 आरोपियों के खिलाफ तय किए आरोप

नई दिल्ली, 10 फरवरी 2026। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में मंगलवार को एक विशेष अदालत ने 27 आरोपियों के खिलाफ मकौका और बीएनएस के तहत आरोप तय किए। सिद्दी की साल 2024 में हत्या कर दी गई थी। वहीं, आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया। किन कानूनों के तहत आरोप तय किए गए : विशेष जज सत्यनारायण आर नवदर ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की औपचारिक रूप देती है। बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को बांद्रा के निर्मल नगर इलाके में हत्या कर दी गई थी। हमलाकारों ने उनके बेटे जीशान के कार्यालय के बार उन्हें गोली मारी थी।



सुरक्षा संहिता (बीएनएस) के तहत आरोप तय करना आपराधिक मुकदमे का पहला चरण है, जहां कोर्ट सबूतों के आधार पर आरोपों को औपचारिक रूप देती है। बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को बांद्रा के निर्मल नगर इलाके में हत्या कर दी गई थी। हमलाकारों ने उनके बेटे जीशान के कार्यालय के बार उन्हें गोली मारी थी।

मथुरा में परिवार के 5 लोगों की लाश मिली पति-पत्नी, 3 बच्चे

मथुरा, 10 फरवरी 2026। मथुरा में एक ही कमरे से एक परिवार के 5 लोगों की लाशें मिलीं। मृतकों में पति, पत्नी और 3 बच्चे शामिल हैं। कमरे में बेड पर मां, एक बेटा-बेटा मिले। दूसरी बेटा चारपाई पर पड़ी थी, जबकि पति का शव फर्श पर मिला। पुलिस के अनुसार, पति ने पहले पत्नी की हत्या की, फिर बच्चों की जान ली। बाद में खुद करंट लगाकर आत्महत्या कर ली। SSP श्लोक कुमार ने बताया कि घटना का पता उस समय चला, जब सुबह बच्चे दिखाई नहीं दिए। इस पर पड़ोस में रहने वाले मनीष के भाई जयकिशन मौके पर पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद होने की वजह से जयकिशन मैन गेट फांदकर अंदर गए।

साइबर सुरक्षा देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा : शाह

नई दिल्ली, 10 फरवरी 2026। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के एक कार्यक्रम में कहा कि साइबर सुरक्षा अब केवल तकनीकी मुद्दा नहीं रह गया है बल्कि यह देश की आंतरिक सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़ चुका है। देश के डेटा को हर हाल में सुरक्षित करना होगा। सीबीआई ने आयोजित साइबर सक्षम धोखाधड़ी से निपटने और उसके पूरे तंत्र को ध्वस्त करने के विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन यहां 10 और 11 फरवरी तक चलेगा। इस अवसर पर गृह मंत्री ने सीबीआई के नए साइबर अपराध प्रकोष्ठ का उद्घाटन किया। साथ ही भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र



(आई4सी) के अंतर्गत स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (एस4सी) डैशबोर्ड की भी शुरुआत की। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि यह दोनों ऐसी इकाइयां हैं, जिसमें अलग-अलग विभाग और एजेंसियां एक ही प्लेटफॉर्म पर साइबर अपराध से निपटने के लिए काम कर रही हैं। जब सभी प्रयास एक दिशा में होते हैं, तभी अपेक्षित परिणाम मिलते हैं। पिछले 11 वर्षों

को भारत की डिजिटल यात्रा में साइबर सुरक्षा सबसे अहम विषय बनकर उभरी है। अमित शाह ने कहा कि पहले देश में डिजिटल सेवाओं के करीब 25 करोड़ उपयोगकर्ता थे, जो अब 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुके हैं। एक जीबी डेटा की कीमत में करीब 97 प्रतिशत की कमी आई है। दुनिया के हर दूसरे डिजिटल लैन-देन भारत में हो रहे हैं। 97 करोड़ से अधिक जनघन खातों और देश के संगठनों के संवेदनशील डेटा की सुरक्षा अब बड़ी चुनौती है। गृह मंत्री ने बताया कि हाल के वर्षों में सीबीआई ने 20 हजार करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामलों की जांच की है, जिनमें से 8 हजार करोड़ रुपये की राशि को फ्रीज किया गया है।

संपादकीय



भारत का राष्ट्रीय मिशन बना महाशक्ति बनने का कारण

भारत के पास चीन और बाज़ील के बाद दुर्लभ खनिजों का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है, जबकि अमेरिका इस मामले में विश्व में सातवें नंबर पर है। ट्रंप साम-दाम-दंड-भेद का प्रयोग कर ग्रीनलैंड पर कब्जे के प्रयास में इसलिए जुटे, क्योंकि ग्रीनलैंड के पास विश्व का आठवां सबसे बड़ा दुर्लभ खनिजों का भंडार है...

कुछ समय पहले भारी मुनाफा कमाने वाली एक भारतीय कंपनी ने एक छोटी सी चीनी कंपनी से सौर ऊर्जा से जुड़ी तकनीक खरीदनी चाही, परंतु उसने देने से मना कर दिया। यह तब हुआ, जब भारत अंतरराष्ट्रीय सोलर एलायंस का संस्थापक है। भारत ने फ्रांस के साथ इस अंतरराष्ट्रीय संगठन को स्थापना 2015 में की थी। यह अपनी तरह का पहला बड़ा संगठन है, जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है। इसका उद्देश्य 125 सदस्य देशों के साथ मिलकर 2030 तक सौर ऊर्जा उत्पादन में एक ट्रिलियन डॉलर का निवेश और 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन है। चीन को कई बार इसमें शामिल होने का न्यौता दिया गया, पर उसने स्वीकार नहीं किया।

विडंबना यह है कि ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन के अगुआ भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक को चीन की छोटी सी कंपनी के पास ही सौर ऊर्जा से जुड़ी तकनीक मांगने जाना पड़ा। इसका कारण यह है कि हजारों करोड़ रुपये प्रति तिमाही का मुनाफा कमा रही भारतीय कंपनियों भी नहीं तकनीक के अनुसंधान में भारत में निवेश नहीं करना चाहती हैं। वे खुदरा माल-सेवाओं के आपूर्तिकर्ता मात्र के रूप में अपने व्यापार का विस्तार कर रही हैं और टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। इसी कमजोरी के चलते हम विश्व स्तर पर नेतृत्व देने में अक्षम हैं। विश्व शक्तियां हमें अक्षम ही बने रहने देना चाहती हैं। इसका ताजा उदाहरण अमेरिका के नेतृत्व वाला पैक्स सिलिका गठजोड़ है।

पैक्स सिलिका महत्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्रों में काम आने वाले दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति और प्रसंस्करण से जुड़ी आपूर्ति शृंखलाओं को परोकर चीन जैसे देशों के इस क्षेत्र पर नियंत्रण से निरालेने के उद्देश्य से बनाया गया है। पहले भारत ने इससे जुड़ने की इच्छा जताई थी, परंतु ट्रंप प्रशासन ने उसे नकार दिया था। इस पर भारत के कुछ उद्योगपतियों ने कहा था कि यदि सरकार उनके साथ सहयोग करे तो वे दुर्लभ खनिजों का खनन और प्रसंस्करण भारत में कर सकते हैं।

भारत के पास चीन और बाज़ील के बाद दुर्लभ खनिजों का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है, जबकि अमेरिका इस मामले में विश्व में सातवें नंबर पर है। ट्रंप साम-दाम-दंड-भेद का प्रयोग कर ग्रीनलैंड पर कब्जे के प्रयास में इसलिए जुटे, क्योंकि ग्रीनलैंड के पास विश्व का आठवां सबसे बड़ा दुर्लभ खनिजों का भंडार है। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल भी कर ले तब भी 3.4 मीट्रिक टन के साथ उसका स्थान सातवां ही रहता।

विचारणीय यह है कि दुर्लभ खनिजों के क्षेत्र में भारत को अमेरिका का पिछलग्गू बनना चाहिए या आत्मनिर्भर? जैसे ही भारतीय उद्योगपतियों ने स्वयं इन खनिजों के खनन और प्रसंस्करण करने की बात कही, अमेरिका ने तुरंत अपनी चाल बदलकर भारत को पैक्स सिलिका में जुड़ने के लिए आमंत्रित कर लिया। इसकी कबालत करने वाली एक लाबी के अनुसार इन दुर्लभ खनिजों का खनन और प्रसंस्करण बहुत जटिल प्रक्रिया है, इसलिए भारत का अमेरिका की अगुआई में काम करना आसान रहेगा, पर जब हमें यह सब आसानी से उपलब्ध होने लगेगा तो हम स्थिति पट्ट जाएंगे और खनन और प्रसंस्करण तकनीकी में निवेश ही नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि इस जटिल काम को चीन ने कैसे कर लिया?

चीन 1986 में ही अमेरिका को पीछे छोड़ दुर्लभ खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया था। 1985-95 के बीच चीन में इन खनिजों का उत्पादन 464 प्रतिशत बढ़ा। 2004 आते-आते चीन विश्व भर के 90 प्रतिशत दुर्लभ खनिजों का निर्यातक बन चुका था। आज चीन विश्व दुर्लभ खनिजों का 70 प्रतिशत खनन, 90 प्रतिशत शोधन और रियर अर्थ मैनेट के 90 प्रतिशत उत्पादन को नियंत्रित करता है। जो काम चीन 1980-90 के दशक में कर पाया वह हम आज क्यों नहीं कर सकते? आत्मनिर्भरता क्या आत्मसंदेह से आणी? जब विश्व ने परमाणु तकनीक भारत को देने से मना कर दिया था तो क्या हमने परमाणु बम नहीं बना लिया था? इसके उल्ट उदाहरण भी देख लीजिए।

हम हमेशा फाइटर जेट विदेश से आयात करते रहे हैं। इसके चलते हम आज तक इन्हें क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं, जबकि विश्व की हर महाशक्ति अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूरोपीय संघ, चीन अपने फाइटर जेट और उसके इंजन स्वयं बनाते हैं। खबरों में कि भारत को एक बार फिर लाखों करोड़ रुपये खर्च करके फ्रांस, रूस या अमेरिका को ये किसी एक से फाइटर जेट आयात करने पड़ेंगे, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों के बस अब मात्र 29 स्काइड ही बाकी रह गए हैं, जबकि होने कम से कम 42 स्काइड चाहिए। यह स्थिति इसलिए है, क्योंकि तेजस का उत्पादन समय से नहीं हो पाया और स्वदेशी जेट इंजन बनाने का कार्यक्रम भी अधूरा ही रहा।

1989 में प्रारंभ किए गए कावेरी जेट इंजन कार्यक्रम में भारत ने 2008 तक मात्र 2000 करोड़ रुपये का निवेश किया और फिर उसे असफल पाकर तेजस प्रोजेक्ट से अहला कर दिया। पिछले 40 साल में भारत ने कावेरी इंजन कार्यक्रम पर अधिकतम 5000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जबकि चीन तीन लाख पचास हजार करोड़ रुपये खर्च कर चुका है। आज चीन के पास छठी पीढ़ी के स्वनिर्मित लड़ाकू विमान जे-20 के लिए अपना जेट इंजन तैयार है, जबकि हम चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान विदेश से खरीदने के लिए तीन-चार लाख करोड़ रुपये खर्च करने वाले हैं। क्या कोई यह वादा कर सकता है कि हम अंतिम बार विदेशी लड़ाकू विमान खरीदने जा रहे हैं?

चीन छठी पीढ़ी के 100-120 लड़ाकू विमान बना रहा है और हम चौथी पीढ़ी के 6-12 जहाज बना पा रहे हैं। कारण यह है कि इसके इंजन के लिए हम अमेरिका पर निर्भर हैं। तीन-चार लाख करोड़ रुपये विदेशी लड़ाकू विमानों पर खर्च करने के बाद हमारी सरकार स्वदेशी जेट इंजन के विकास पर किताब खर्च कर पाएगी, यह भी विचारणीय है। जब तक इन सेक्टरों में आत्मनिर्भरता को राष्ट्रीय मिशन नहीं बनाया जाएगा, तब तक भारत के एक आत्मनिर्भर विश्वशक्ति बनने पर प्रश्नचिह्न लगा रहेगा। भारत के महाशक्ति बनने का मार्ग आसान नहीं है और न ही आसान रास्ते से महाशक्ति बना जा सकता है।

प्रकृति, पैसा और स्वास्थ्य: एक संतुलित दृष्टि



डॉ. प्रियंका सोरेब
हिसार, हरियाणा

आज के दौर में स्वास्थ्य को लेकर हमारी सोच तेजी से बदली है। आधुनिक जीवन शैली, तकनीक, महंगी चिकित्सा सुविधाएँ और बढ़ती आय ने यह विश्वास पैदा कर दिया है कि पैसा ही बेहतर स्वास्थ्य की कुंजी है। बड़े शहरों में रहने वाला व्यक्ति मानता है कि यदि उसके पास अच्छे अस्पताल, नामी डॉक्टर, निजी बीमा और आधुनिक उपकरण हैं, तो बीमारी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जब हम देखते हैं कि देश-दुनिया की नामचीन हस्तियाँ-जिनके पास धन, संसाधन और सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध थीं-गंभीर बीमारियों का शिकार हुईं, तो यह विश्वास डगमगाने लगता है। यह प्रश्न स्वाभाविक है कि आर्थिक इतनी देखभाल, इतनी सावधानी और इतने संसाधनों के बावजूद भी लोग कैंसर, हृदय रोग और अन्य जटिल

बीमारियों से क्यों नहीं बच पाए। क्या आधुनिक जीवनशैली वास्तव में हमें स्वस्थ बना रही है, या हम अनजाने में अपने शरीर की प्राकृतिक शक्ति को कमजोर कर रहे हैं? यह सवाल केवल अमीर और मशहूर लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति से जुड़ा है जो तेज रफ़्तार, कृत्रिम और तनावपूर्ण जीवन जी रहा है। मानव शरीर प्रकृति की देन है और लाखों वर्षों के विकास का परिणाम है। हमारा शरीर प्राकृतिक भोजन, शुद्ध हवा, स्वच्छ पानी, धूप और शारीरिक श्रम के साथ तालमेल बैठकर विकसित हुआ है। जब हम इस प्राकृतिक संतुलन से दूर होते जाते हैं- अत्यधिक प्रोसेस्ड भोजन खाते हैं, घंटों बंद कमरों में रहते हैं, मोबाइल और स्क्रीन के सामने जीवन बिताते हैं- तो शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है। बीमारियाँ अचानक नहीं आतीं, वे वर्षों की गलत आदतों, तनाव और असंतुलन का परिणाम होती हैं। आज का भोजन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पैकेट में बंद, लंबे समय तक टिकने वाला और स्वाद बढ़ाने वाले रसायनों से भरपूर भोजन हमारी थाली में जगह बना चुका है। फल के नाम पर जूस, सब्जियों के नाम पर फ्रोजन पैक और दूध के नाम पर प्रोसेस्ड उत्पाद हमारे दैनिक आहार का हिस्सा बन गए हैं। यह सुविधाजनक जरूर है, लेकिन शरीर के लिए हमेशा हितकारी नहीं। प्रकृति हमें भोजन उसके संपूर्ण रूप में देती है- जिसमें फाइबर, विटामिन और पोषक तत्व संतुलित होते हैं। जब हम उस रूप को बदल देते हैं, तो उसका प्रभाव भी बदल जाता है।



स्वच्छता और सुरक्षा के नाम पर हमने अपने आसपास का वातावरण भी अत्यधिक कृत्रिम बना लिया है। हर चीज को कीटाणुनाशक करने की होड़ लगी है। साबुन, सैनिटाइजर और केमिकल क्लीनर के बिना जीवन अधूरा सा लगाने लगा है। इसमें संदेह नहीं कि स्वच्छता आवश्यक है, लेकिन अति हमेशा हानिकारक होती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सीमित मात्रा में प्राकृतिक बैक्टीरिया से संपर्क हमारी रोग-प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। जो शरीर हर छोटी चुनौती से बचा लिया जाता है, वह बड़ी चुनौती आने पर कमजोर पड़ सकता है। ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन की तुलना इस संदर्भ में अक्सर की जाती है। गाँवों में रहने वाले बुजुर्ग अपेक्षाकृत सादा भोजन करते हैं, शारीरिक श्रम अधिक होता है और जीवन की गति धीमी होती है। मानसिक तनाव भी अपेक्षाकृत कम होता है। यही कारण है कि छोटी-मोटी बीमारियाँ वे

बिना दवा के भी झेल लेते हैं। वहीं शहरों में रहने वाला व्यक्ति आरामदायक जीवन जीता है, लेकिन एक साधारण बुखार भी उसे बिस्तर से बाँध देता है। यह अंतर केवल चिकित्सा सुविधाओं का नहीं, बल्कि जीवनशैली और मानसिक स्थिति का भी है। हालाँकि यह मान लेना भी गलत होगा कि प्रकृति से जुड़ाव ही हर बीमारी का इलाज है। कई बीमारियाँ आनुवंशिक होती हैं, कई संक्रमण के कारण होती हैं, और कई उम्र के साथ स्वाभाविक रूप से आती हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने इन क्षेत्रों में अभूत पूर्व प्रगति की है। टीके, एंटीबायोटिक, सर्जरी और आधुनिक जांच तकनीकों ने करोड़ों लोगों की जान बचाई है। यदि हम केवल प्राकृतिक के नाम पर विज्ञान को नकार दें, तो यह भी एक खतरनाक सोच होगी। असल समस्या तब पैदा होती है जब हम किसी एक छोर पर चले जाते हैं। या तो हम पूरी तरह मशीनों, दवाओं और सुविधाओं पर निर्भर हो जाते हैं, या फिर विज्ञान को नकारकर हर समस्या का समाधान केवल घरेलू नुस्खों में खोजने लगते हैं। दोनों ही दृष्टिकोण अधूरे हैं। स्वास्थ्य एक संतुलन का नाम है- जहाँ प्रकृति और विज्ञान दोनों की अपनी-अपनी भूमिका है।

मानसिक स्वास्थ्य इस संतुलन का एक और महत्वपूर्ण इहलू है, जिसे अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। आज का इंसान शारीरिक रूप से भले ही सुविधाओं से घिरा हो, लेकिन मानसिक रूप से असुरक्षित, निराश और तनावग्रस्त है। प्रतिस्पर्धा, असफलता का डर, सामाजिक दबाव और भविष्य की चिंता हमारे मन को लगातार व्यस्त रखते हैं। यह मानसिक तनाव धीरे-धीरे शरीर पर असर डालता है और गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। पैसा इस तनाव को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता। यह भी समझना जरूरी है कि अमीर लोगों की बीमारियाँ हमें ज़्यादा इसलिए दिखती हैं क्योंकि वे सार्वजनिक जीवन में होते हैं। आम लोगों में भी वही बीमारियाँ होती हैं, लेकिन वे चर्चा में नहीं आतीं। इसका अर्थ यह नहीं कि धन अपने आप बीमारी लाता है, बल्कि यह कि धन बीमारी से पूर्ण सुरक्षा नहीं दे सकता। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम स्वास्थ्य को केवल इलाज की दृष्टि से न देखें, बल्कि जीवनशैली की दृष्टि से समझें। सादा और संतुलित भोजन, नियमित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद, प्रकृति के साथ समय और मानसिक शांति-ये सब किसी भी दवा से कम प्रभावी नहीं हैं। इसके साथ ही, आवश्यकता पड़ने पर समय पर डॉक्टर से सलाह लेना और आधुनिक चिकित्सा का लाभ उठाना भी उतना ही जरूरी है। अंततः यह स्वीकार करना होगा कि न तो पैसा हमें अमर बना सकता है और न ही केवल प्राकृतिक जीवनशैली सभी बीमारियों से बचा सकती है। असली समाधान संतुलन में है। जब हम प्रकृति की समझ के साथ विज्ञान को अपनाते हैं, तब ही स्वस्थ और सार्थक जीवन संभव है। शायद यही वह रास्ता है, जिस पर चलकर हम न केवल लंबा, बल्कि बेहतर जीवन भी जी सकते हैं।

लोकसभा-अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास : लोकतंत्र की अग्निपरीक्षा



ललित कुमर
पटसरगंज, दिल्ली-92

सत्ता और विपक्ष के बीच संतुलन का प्रतीक माना जाता रहा है। लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका केवल कार्यवाही संचालित करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह सदन की गतिमा, लोकतांत्रिक मर्यादा और सभी पक्षों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की संवैधानिक जिम्मेदारी भी निभाते हैं। यदि विपक्ष का एक बड़ा वर्ग यह महसूस करने लगे कि अध्यक्ष का व्यवहार पक्षपातपूर्ण है या उनकी आवाज को व्यर्थस्थित रूप से दबाया जा रहा है, तो यह केवल राजनीतिक असंतोष नहीं, बल्कि संस्थागत अविश्वास का संकेत होता है। 100 से अधिक सांसदों द्वारा हस्ताक्षर कर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी यह दर्शाती है कि मामला क्षणिक आक्रोश का नहीं, बल्कि लंबे समय से पनप रही असहमति और संवादहीनता का परिणाम है। लोकसभा अध्यक्ष सदन के संरक्षक की भूमिका में होते हैं, जिनके प्रति विश्वास जरूरी होता है और उनसे भी निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है। हालाँकि यह भी उतना ही सत्य है कि संख्या बल के आधार पर इस तरह का प्रस्ताव पारित होना कठिन है, लेकिन लोकतंत्र में कई बार प्रतीकात्मक कदम भी गहरे संदेश देते हैं। विपक्षी दलों द्वारा यह स्पष्ट करना कि वे टकराव के साथ-साथ सहला राज्य का एक हिस्सा हुआ रखे हुए हैं, और इसी क्रम में विभिन्न वरिष्ठ नेताओं का अध्यक्ष से मुलाकात कर संवाद का प्रयास करना, इस बात का संकेत है कि अभी भी समाधान की गुंजाइश



समाप्त नहीं हुई है। यह स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर संसद जैसे सर्वोच्च मंच पर संवाद की जगह हंगामा, नारेबाजी और गतिरोध क्यों हावी होता जा रहा है। क्या यह केवल सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच अविश्वास का परिणाम है, या फिर संसदीय परंपराओं के क्षरण का संकेत? विगत वर्षों में बार-बार यह देखने को मिला है कि महत्वपूर्ण विधेयकों और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर गंभीर चर्चा की बजाय सदन की कार्यवाही बाधित होती रही है। इससे न केवल विधायी कामकाज प्रभावित होता है, बल्कि जनता के बीच यह संदेश भी जाता है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि अपने दायित्वों के प्रति गंभीर नहीं हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह असहमति को स्थान देता है। विपक्ष का काम केवल विरोध करना नहीं, बल्कि सरकार को जवाबदेह ठहराना और वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना भी है। इसके लिए सदन में बोलने का अवसर, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता और आलोचना का सम्मान अनिवार्य है। यदि विपक्ष यह महसूस करता है कि उसके लिए ये रास्ते संकुचित किए जा

रहे हैं, तो उसका आक्रोश सड़कों या नारेबाजी के रूप में फूट पड़ता है, जो अंततः संसद की गरिमा को ही नुकसान पहुँचाता है। दूसरी ओर, विपक्ष द्वारा बार-बार सदन की कार्यवाही बाधित करना उतना ही गंभीर दोष है, क्योंकि इससे शासन की प्रक्रिया ठप होती है और जनता के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। इस दोतरफा अविश्वास और आक्रामकता के बीच लोकतंत्र का मूल उद्देश्य कई खोता हुआ दिखता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यदि संसद बार-बार हंगामा, निलंबन और गतिरोध की खबरों में रहे, तो यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की लोकतांत्रिक छवि को प्रभावित करता है। विकास, नीति और जनकल्याण की चर्चा के स्थान पर यदि टकराव और अविश्वास केंद्र में आ जाए, तो यह भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। लोकतंत्र की मजबूती केवल मजबूत सरकार से नहीं, बल्कि मजबूत विपक्ष और निष्पक्ष संस्थाओं से भी आती है। लोकसभा अध्यक्ष जैसे पद से अपेक्षा की जाती है कि वह न केवल नियमों का पालन कराए, बल्कि विश्वास का सेतु भी बने। वहीं विपक्ष से भी यह अपेक्षा है कि वह विरोध के लिए एक ऐसे अखंड रूप से चलाने के लिए हार्दिक, धैर्य और व्यावहारिक समझ का प्रयोग करते हैं। लोक तांत्रिक संस्थाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, संसदीय मर्यादाओं का आग्रह और संसद के लिए दरवाजा खुले रखने की प्रवृत्ति

को देखते हुए उनके जैसे लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की स्थिति अपने आप में एक त्रासद और चिंताजनक घटना प्रतीत होती है। यह घटना व्यक्ति विशेष से अधिक उस माहौल की ओर संकेत करती है, जहाँ अविश्वास इतना गहरा हो चुका है कि संवाद और विश्वास के पुल कमजोर पड़ते जा रहे हैं। अंततः यह समय आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर जिम्मेदारी स्वीकार करने का है। सत्तापक्ष को यह समझना होगा कि मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत है। विपक्ष को यह स्वीकार करना होगा कि विरोध की भी एक मर्यादा और रचनात्मकता होती है। और अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पदों को यह स्मरण रखना होगा कि उनकी निष्पक्षता केवल नियमों के पालन से नहीं, बल्कि व्यवहार और अवसर की समानता से भी सिद्ध होती है। यदि संसद को संवाद का मंच बनाए रखने में हम विफल रहते हैं, तो यह केवल एक सत्र या एक सरकार की विफलता नहीं होगी, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारी सामूहिक असफलता मानी जाएगी। यही वह बिंदु है जहाँ हर नागरिक, हर जनप्रतिनिधि और हर संस्था को आत्मचिंतन करना होगा, ताकि विकास की राह में विनाश की संभावनाएँ नहीं, बल्कि संवाद, विश्वास और लोकतांत्रिक परिपक्वता का मार्ग प्रशस्त हो सके।

डिजिटल युग अच्छा भी और बुरा भी



सुभाष बुद्धावनवाला
रतलाम, मध्य प्रदेश

पर नाराजगी जताना यह संकेत देता है कि साइबर सुरक्षा तंत्र अभी अपेक्षित स्तर तक मजबूत नहीं हो पाया है। यदि बैंक समय पर सॉफ्टवेयर लेन-देन को रोकने और खातों को फ्रीज करने की कार्यवाही करें, तो ठीक के अनेक मामलों को शुरुआती स्तर पर ही रोक जा सकता है। आज ऑनलाइन बैंकिंग और मशीन लर्निंग आधारित फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम विकसित हो चुके हैं, जो असामान्य लेन-देन को तुरंत पहचान कर सकते हैं। विकसित देशों में रियल-टाइम ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग और बिहेवियल एनालिटिक्स जैसे उपायों से साइबर अपराधों पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया है, और भारत में भी इन्हें व्यापक रूप से लागू करने की आवश्यकता है। सरकार ने साइबर ठगों से बचाव के लिए 1930 के क्लेपलाइन और राष्ट्रीय साइबर इन्फॉर्मेशन जैसी सुविधाएँ शुरू की हैं, जहाँ त्वरित शिकायत दर्ज कराकर रकम को ट्रैक किया जा सकता है। इसके जागरूकता का समन्वय नहीं होगा, तब तक डिजिटल अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता खतरों में बनी रहेगी।

करते हैं बैंकों को अपने केवाईसी मानकों को और कठोर बनाना होगा तथा संधिदा खातों की नियमित ऑडिट करनी होगी। हालाँकि तकनीकी उपायों के साथ-साथ जन-जागरूकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। लोगों को यह समझना होगा कि कोई भी सरकारी एजेंसी फोन या वॉडियो कॉल पर पैसे ट्रांसफर करने का आदेश नहीं देती। अनजान लिंक पर क्लिक करने, स्क्रीन शेयर करने या ओटीपी बताने से बचना चाहिए। मोबाइल और बैंकिंग ऐप्स में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग तथा समय-समय पर पासवर्ड बदलना भी सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। स्पष्ट है कि साइबर धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए केवल अदालत की सख्ती पर्याप्त नहीं होगी। इसके लिए बैंकों, नियामक संस्थाओं, सरकार और आम नागरिक-सभी को मिलकर एक सशक्त डिजिटल सुरक्षा संस्कृति विकसित करनी होगी। जब तक तकनीकी सतर्कता, संस्थागत जवाबदेही और नागरिक जागरूकता का समन्वय नहीं होगा, तब तक डिजिटल अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता खतरों में बनी रहेगी।

विशेषता बिहार के मुजफ्फरपुर की...



मुस्कान केशरी
मुजफ्फरपुर बिहार



बिहार की राजधानी पटना से मात्र 65-70 किलोमीटर की दूरी पर मुजफ्फरपुर जिला बसा है और आज में आप सभी को मुजफ्फरपुर के बारे में बताने वाली हूँ। मुजफ्फरपुर का इतिहास बहुत ही समृद्ध और विविध रहा है। प्राचीन काल में, यह शहर मिथिला राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था, जो बाद में वज्जि गणराज्य का हिस्सा बन गया। मध्ययुगीन काल में, मुजफ्फरपुर पर विभिन्न राजवंशों का शासन रहा, जिनमें पाल वंश, सेन वंश और तुगलक वंश शामिल हैं। 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद, यह शहर अंग्रेजों हुकूमत के अधीन हो गया। मुजफ्फरपुर ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी अपनी भूमिका निभाई है। खुदिराम बोस, जुब्बा साहनी और पंडित सहदेव झा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस शहर में अपनी गतिविधियाँ चलाई हैं। वैसे तो मुजफ्फरपुर

जिला की स्थापना 1 जनवरी 1875 में ब्रिटिश राज के दौरान प्रशासनिक सुविधा के लिए तिरहुत जिले को विभाजित करके की गई थी और इसका नाम एक औमिल मुजफ्फर खान के नाम पर रखा गया था, इस प्रकार इस शहर को मुजफ्फरपुर के नाम से जाना जाने लगा। ऐसे तो इस शहर को लीची के लिए है इसलिए। इस जिला में मुख्य रूप से नवीन जलोढ़ मिट्टी का उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से यह मिट्टी मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण में पाया जाता है। बिहार के मिथिला क्षेत्र का एक प्रमुख शहर है मुजफ्फरपुर और तिरहुत मंडल का मुख्यालय भी है। मुजफ्फरपुर जिला का सबसे बड़ा गाँव

जसुआरा है जिसे हम जसुआर और यजुआर भी कहते हैं और यह बिहार का दूसरा सबसे बड़ा गाँव है। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक, बागमती, लखनदेई और गंडक नदी बहती है। मुजफ्फरपुर अभी व्यावसायिक और सांस्कृतिक केंद्र है, जो अपने सूती वस्त्र उद्योग, लाह की चूड़ियों, शहद, लीची और फलों के लिए प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर में घूमने के लिए कई आकर्षक स्थल हैं जैसे शीतलदी आश्रम, बाबा गरीब नाथ मंदिर, देवी मंदिर, वैष्णो माता मंदिर, सरस्वती मंदिर, काली मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चाच, मोती झील बाजार, खुशारूपुर, कटरा गरीबनाथ मेला, राजकीय संग्रहालय, जुब्बा साहनी पार्क, इंद्रा पार्क, सीटी पार्क इत्यादि। इसके अलावा आर्मी की तैयारी करने वाले अस्थायी के लिए जिला स्कूल का मैदान, एल एस कॉलेज का मैदान, नेहरू स्टेडियम का मैदान है जहाँ अस्थायी मेहनत करते हैं और अपने सपने को पूरा करते हुए सेवा में लग जाते हैं। मुजफ्फरपुर में कई प्रसिद्ध विद्यालय हैं जैसे चैम्पेन स्कूल, जिला स्कूल, मुखर्जी सेमेनरी स्कूल इत्यादि और कई महाविद्यालय हैं जहाँ एम डी डी एम कॉलेज, एल एस कॉलेज, आर डी एस कॉलेज, एल एन टी कॉलेज इत्यादि। मुजफ्फरपुर अपनी पारंपरिक कला के लिए भी जाना जाता है। यह शहर लोकनृत्य, लोकगायन, साहित्य, पर्यावरण, कठपुतली व विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय योगदान दे रहा है। एक मुजफ्फरपुर आए और मीठी लीची खाए। जल्द से जल्द मुजफ्फरपुर आए और इस शहर को घूमें।

कविता

पीत सरसों धरा को




त्रिशिका धरा
कानपुर, उत्तर प्रदेश

पीत सरसों धरा को सजाने लगी कोकिला भी मधुर गीत गाने लगी मेरे केशों से, अधरों से है खेलती रुत बसती सजने सी सताने लगी इस बरस उम्र सोलह लगी है जिसे वो कली भंवरं का चित चुराये लगी पते वीणा सी झंकार करने लगे बाग में रास बुलबुल रचाने लगी खेत की मेड़ पर साथ चलना तेरा वो चड़ी विरह में याद आने लगी हृष्य मुझ से छुड़ा कर गया जब से तू हरखुशी मुझसे दामन छुड़ाने लगी मेरे हृदय ने ऐसे प्युकारा तुझे जैसे मोहन को राधा बुलाने लगी

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

भीषण आगजनी में तीन दुकानें जलकर खाक फर्नीचर शोरूम से शुरू हुई आग ने दो अन्य दुकानों को लिया चपेट में



**-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 10 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।**
शहर के अंबेडकर चौक के समीप मंगलवार तड़के भीषण आगजनी की घटना में एक फर्नीचर शोरूम, सेकेंड हैंड दोपहिया वाहन शोरूम और एक होटल जलकर खाक हो गया। तीनों प्रतिष्ठान एक ही लाइन में स्थित थे और अल्बेस्टर शीट से निर्मित होने के कारण आग तेजी से फैल गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग की शुरुआत संभवतः मारुति फर्नीचर शोरूम से हुई, जिसने देखते ही देखते आसपास के होटल और निहारिका ऑटोड्रील सर्विसिंग सेंटर को भी अपनी चपेट में ले लिया। होटल में रहे दो गैस सिलेंडरों के फटने से आग और विकराल हो गई। जानकारी के अनुसार गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबेडकर चौक

के पास स्थित मारुति फर्नीचर शोरूम का संचालन एमजी रोड निवासी राकेश अग्रवाल करते हैं। शोरूम के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान और ऑटो ई-रिक्शा का भी कारोबार किया जाता था। इसके दोनों ओर चाय-नाश्ते का होटल तथा निहारिका ऑटोड्रील सर्विसिंग सेंटर संचालित है, जिसका संचालन सुनील व सुशील गोयल करते हैं। सोमवार रात सभी संचालक अपनी-अपनी दुकानें बंद कर घर चले गए थे। मंगलवार सुबह करीब 4.30 बजे राहगीरों ने शोरूम में आग लगने की सूचना संचालक को दी। सूचना मिलते ही संचालक परिजनों के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आग तीनों दुकानों में फैल चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और गांधीनगर थाना पुलिस को सूचना दी गई। दमकल टीम करीब सुबह 5 बजे मौके



गैस सिलेंडर ब्लास्ट से मवी अफरा-तफरी

आग होटल तक पहुंचने के बाद वहां रहे दो गैस सिलेंडर एक-एक कर जोरदार धमाके के साथ फट गए। सिलेंडरों के टुकड़े दूर तक जा गिरे, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। फर्नीचर शोरूम में बड़ी मात्रा में सामान भरा हुआ था। आग की चपेट में आने से ऑटो ई-रिक्शा, अलमारी, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री सहित अन्य फर्नीचर जलकर खाक हो गया। संचालक को भारी आर्थिक नुकसान होने की बात कही जा रही है।

आग बुझाने में लग्ना 10 टैंकर पानी

आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के टैंकरों के साथ पुलिस विभाग के वज्र वाहन, आडानी तथा एयरपोर्ट से दमकल वाहनों की सहायता ली गई। करीब 10 टैंकर पानी का उपयोग किया गया। आग बुझने के बाद भी दोपहर तक धुआं निकलता रहा। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। लगभग चार घंटे की कड़ी मशकत के बाद आग पर नियंत्रण पाया जा सका। तब तक तीनों प्रतिष्ठान पूरी तरह जलकर नष्ट हो चुके थे। सबसे अधिक नुकसान मारुति फर्नीचर शोरूम को हुआ है।

लाइसेंसी बंदूक लूट का आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार कसाबेल से पकड़ा गया आरोपी, लूटी गई बंदूक बरामद



-संवाददाता- अम्बिकापुर, 10 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

नवापारा क्षेत्र में सुरक्षा गार्ड से लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक लूटने के मामले में गांधीनगर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कसाबेल (जिला जशपुर) से पकड़ा गया, जिसके कब्जे से लूटी गई बंदूक भी बरामद कर ली गई है। पुलिस के अनुसार प्रार्थी अमोद कुमार एक्का, जो पंजाब एंड सिंध बैंक अम्बिकापुर में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत है, 8 फरवरी को दोपहर करीब 1 बजे अपने पुराने किराये के मकान नवापारा से नया सामान शिफ्ट कर रहे थे। ऑटो में जगह नहीं होने के कारण वे अपनी लाइसेंसी बंदूक कंधे पर टांगकर पैदल प्रतापपुर नाका की ओर जा रहे थे। नवापारा-कुम्हारपारा डकान के पास एक व्यक्ति ने पीछे से आकर बातचीत की और मोटरसाइकिल पर छोड़ने

की बात कही। जैसे ही प्रार्थी बैठने लगा, आरोपी बंदूक लूटकर मौके से फरार हो गया। घटना की रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 72/26 के तहत मामला दर्ज किया गया। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल के निर्देश पर साइबर सेल, कोतवाली और गांधीनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की। तकनीकी और मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी को कसाबेल से हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम जयपाल लकड़ा (45 वर्ष), निवासी महादेवडंडा बीसबहरी, थाना बगीचा जिला जशपुर बताया। आरोपी ने बंदूक लूट की घटना स्वीकार की, जिसके बाद उसके कब्जे से बंदूक बरामद कर ली गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

बीच सड़क अवैध बोरिंग के मामले में कोतवाली में ज्ञापन सौंपा



**-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 10 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।**
शहर के मध्य सार्वजनिक सड़क पर कथित अवैध निजी बोरवेल खुदाई के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधियों ने थाना कोतवाली पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र बहादुर सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता सुजान बिंद एवं अंकुर सिंहा ने थाना प्रभारी को लिखित शिकायत देकर मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि नगर निगम क्षेत्र की सार्वजनिक सड़क और शासकीय भूमि पर बिना अनुमति निजी बोरिंग कराई गई, जिससे यातायात बाधित हुआ और आम नागरिकों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ। प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि जनदबाव के बाद ही खुदाई को पाटने की कार्रवाई शुरू की गई। उन्होंने मांग की कि बोरवेल मशीन जब्त कर संबंधित ठेकेदार, मशीन संचालक और प्रकथित रूप से संलिप्त जनप्रतिनिधि के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाए।

इंजीनियरिंग कॉलेज में नए तकनीकी व प्रबंधन पाठ्यक्रमों को एआईसीटीई की मंजूरी



**-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 10 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।**
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नई दिल्ली ने शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अम्बिकापुर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से नए तकनीकी एवं प्रबंधन पाठ्यक्रमों के संचालन की स्वीकृति प्रदान की है। यह पहल सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज के प्रयासों से संभव हुई है। कॉलेज में एम एमबीए (30 सीटें) प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही कार्यरत कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से बीटेक (30 सीटें) और एमटेक (15 सीटें) पाठ्यक्रम भी स्वीकृत किए गए हैं। एमटेक में सिविल इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम एवं कंट्रोल तथा माइनिंग इंजीनियरिंग विषय शामिल होंगे। वहीं बीटेक में सिविल, इलेक्ट्रिकल और माइनिंग इंजीनियरिंग का संचालन निर्धारित क्षमता अनुसार किया जाएगा। इस निर्णय से सरगुजा अंचल में ही उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी व प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध होगी। बीडब्ल्यूडी, बीएसएनएल, सिंचाई विभाग और माइनिंग सेक्टर में कार्यरत कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल के पास ही वर्किंग प्रोफेशनल शिक्षा का अवसर मिलेगा। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राम नारायण खरे ने इस उपलब्धि पर सभी प्राध्यापकों व कर्मचारियों को बधाई दी है।

महिला ने की आत्महत्या..अस्पताल में मायके-ससुराल पक्ष में विवाद पति पर मारपीट के आरोप, पुलिस ने मर्ग कायम कर शुरु की जांच

-संवाददाता- अम्बिकापुर, 10 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक महिला द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद अस्पताल में मायके और ससुराल पक्ष के बीच विवाद की स्थिति बन गई। मायके पक्ष ने मृतका के पति पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार फूलकुमारी चौधरी (37 वर्ष), पति गिरधर चौधरी, मूल रूप से लटोरी थाना क्षेत्र के द्वारिकानगर की रहने वाली थीं। वह पति और बच्चों के साथ गांधीनगर थाना क्षेत्र के फुंदरिडहारी में निवासरत थीं। सोमवार को उनके बड़े बेटे का जन्मदिन था। बताया जा रहा है कि बेटे को नहाने के लिए डबटने के दौरान पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। गुस्से में महिला ने कुकर पति की ओर फेंक दिया और घर से बाहर चली गई। कुछ देर बाद वह बाथरूम में फासी पर लटकती मिली। परिजन तत्काल उसे उतारकर निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया।



पिता ने लगाए गंभीर आरोप
पोस्टमार्टम के दौरान अस्पताल में मायके और ससुराल पक्ष के लोग आमने-सामने हो गए। मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि गिरधर चौधरी अक्सर उसकी बेटी के साथ मारपीट करता था। उनका कहना है कि घटना के दिन भी विवाद के दौरान मारपीट हुई थी।
पुलिस कर रही जांच
पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है और आत्महत्या के कारणों सहित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस लाइन में तैनात आरक्षक की रहस्यमयी मौत से हड़कंप

-संवाददाता- सूरजपुर, 10 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने पूरे पुलिस महकमे को भीतर तक झकझोर कर रख दिया है। विश्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सूरजपुर पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक अन्तोष खलवो (32) ने सोमवार देर रात अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। न कोई सुसाइड नोट, न कोई आखिरी संदेश-बस पीछे रह गया एक गहरा सन्नाटा और कई अनुत्तरित सवाल। मिली जानकारी के अनुसार, आरक्षक अन्तोष खलवो सोमवार को एमसीबी जिले में पुलिस ड्यूटी पूरी कर देर रात अपने घर लौटे थे। परिवार एमसीबीएल कॉलोनी स्थित क्वार्टर में निवास करता है। रोजमर्रा की तरह उन्होंने पड़ोस में स्थित समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवार के साथ भोजन किया और इसके बाद अपने क्वार्टर लौट आए। उस समय किसी तरह की असामान्य बात

सामने नहीं आई थी। रात के कुछ समय बाद जब उनकी पत्नी दोनों बच्चों के साथ घर पहुंचीं, तो अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। आरक्षक फंदे से लटके हुए मिले। चबराए परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और उन्हें फंदे से उतारकर नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही विश्रामपुर थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। परिजन भी फिलहाल आत्महत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

20 मार्च को धूमधाम से मनाई जाएगी झुलेलाल जयंती

चेट्टीचंड महोत्सव के तहत सात दिवसीय कार्यक्रम होने आयोजित

**-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 10 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।**
पूज्य सिंधी समाज अम्बिकापुर द्वारा 20 मार्च 2026 को भगवान श्री झुलेलाल जयंती को 'चेट्टीचंड महोत्सव 2026' के रूप में भव्य तरीके से मनाने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर सात दिवसीय धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्थानीय सिंधु भवन में आयोजित बैठक में सिंधी समाज, महिला मंडल, वरिष्ठजन एवं युवाओं की उपस्थिति में कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। साथ ही सिंधी नवयुवक मंडल की कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। नवयुवक मंडल के अध्यक्ष नितिन रेलवानी, उपाध्यक्ष हरिश आहूजा व हरिश वाटवानी, सचिव शुभम राजपाल तथा कोषाध्यक्ष यश नागदेव को बनाया गया है। महोत्सव के दौरान सिंधी प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच, आनंद मेला, दीप प्रज्वलन, स्कूटर रैली, बच्चों की प्रतियोगिताएं, मेधावी छात्रों का सम्मान, शंकरघाट सफाई अभियान तथा विशाल लंगर का आयोजन होगा। 20 मार्च को शाम भव्य शोभायात्रा और ज्योति विसर्जन किया जाएगा। झुलेलाल जयंती 20 मार्च को चेट्टीचंड महोत्सव के रूप में मनाई जाएगी। सात दिनों तक विभिन्न सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यक्रम होंगे।

फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सामूहिक दवा सेवन अभियान का हुआ शुभारंभ शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नवापारा में जनप्रतिनिधियों ने स्वयं दवा का सेवन कर लोगों को दवा सेवन करने अपील की

-संवाददाता- अम्बिकापुर, 10 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवापारा में मंगलवार को राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सामूहिक दवा सेवन अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव, नगर निगम अम्बिकापुर की महापौर श्रीमती मंजूषा भगत, स्थानीय जनप्रतिनिधि, शहरी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. शीला नेताम, शहरी सुपरवाइजर अनिल कुमार पांडे, भनेश प्रताप सिंह सहित अस्पताल के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने स्वयं फाइलेरिया रोधी दवाएँ एल्वेडजोल, डी.ई.सी. एवं इवमेक्टिन का सेवन कर लोगों को दवा



सेवन करने प्रोत्साहित किया। इस दौरान उपस्थित लोगों को फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से बचाव हेतु दवा सेवन के महत्व के बारे में जानकारी दी गई एवं दवा सेवन करने अपील की गई। इस अभियान के अंतर्गत शहरी क्षेत्र अम्बिकापुर में कुल 300 टीमों का गठन किया गया है, जिनके द्वारा सभी आंगनवाड़ी केंद्रों एवं

जिला स्तरीय सरगुजा ओलंपिक का गांधी स्टेडियम में हुआ भव्य शुभारंभ

-संवाददाता- अम्बिकापुर, 10 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने एवं युवाओं में खेल भावना के विकास के उद्देश्य से गांधी स्टेडियम, अम्बिकापुर में आज जिला स्तरीय सरगुजा ओलंपिक का भव्य शुभारंभ किया गया। यह प्रतियोगिता 10 से 12 फरवरी 2026 तक आयोजित की जा रही है, जिसमें जिले के सभी विकासखंडों से आए खिलाड़ी उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम महापौर मंजूषा भगत उपस्थित रही तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर निगम महापति हरमिंदर सिंह टिन्नी ने की। इस अवसर पर वरिष्ठ पाषाण आलोक दुबे, शैलेश कुमार सिंह, रविकांत उरांव, अनिल मेजर सिंह, भारत सिंह सिसौदिया, कलेक्टर



अजीत वसंत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधिगण तथा बड़ी संख्या में खेल प्रतिभागी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि महापौर मंजूषा भगत ने कहा कि



ओलंपिक की तर्ज पर आयोजित सरगुजा अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधिगण तथा बड़ी संख्या में खेल प्रतिभागी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि महापौर मंजूषा भगत ने कहा कि

अवसर प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी आगे संभाग स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने खिलाड़ियों से अनुशासन, समर्पण और खेल भावना के साथ भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि जिला प्रशासन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करेगा। जिला स्तरीय सरगुजा ओलंपिक में जिले के सभी विकासखंडों सीतापुर, बतौली, लखनपुर, उदयपुर, लुण्डा, मैनापट और अम्बिकापुर से आए खिलाड़ी शामिल हुए हैं। प्रतियोगिता में 14 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बालक-बालिकाएँ तथा 17 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के महिला एवं पुरुष प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। कुल 12 विभिन्न खेल विधाओं में प्रतियोगिताएँ आयोजित की जा रही हैं, जिनमें एथलेटिक्स सहित अन्य प्रमुख खेल शामिल हैं।

सुरजपुर कांग्रेस की कार्यकारिणी या पदों का महाकुंभ? अध्यक्ष-कोषाध्यक्ष छोड़ बाकी पर लंबी कतार

एक अध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष...बाकी पदों पर भीड़-नई सूची ने बढ़ाई सियासी हलचल

- तुम भी खुश,हम भी खुश फॉर्मूला! सुरजपुर कांग्रेस में पदों की बारिश
- 51 सचिव,37 संयुक्त सचिव...संगठन विस्तार या रेवड़ी वितरण ?
- पदाधिकारियों की फ्रैंज तैयार-सुरजपुर कांग्रेस में जिम्मेदारी कम,पद ज्यादा ?
- कार्यकारिणी कम,नामों की परेड ज्यादा-नई सूची पर उठे सवाल...
- रेवड़ी मॉडल पर बनी टीम ? कांग्रेस की नई कार्यकारिणी चर्चा में...
- उद्योगपति बने कोषाध्यक्ष,तया चुनावी तैयारी का संकेत ?
- नई टीम,नई रणनीति-संगठन मजबूत या आर्थिक गणित ?

- 51 सचिव, 37 संयुक्त सचिव, 24 स्थायी और 28 विशेष आमंत्रित सदस्य... नामों की बाढ़ जैसी सूची के चर्चे
- कोषाध्यक्ष पद पर उद्योगपति...तुम भी खुश, हम भी खुश' फॉर्मूला ही चला क्या?

-न्यूज डेस्क-

सुरजपुर, 10 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी सुरजपुर की अनुमोदित कार्यकारिणी की सूची जारी होते ही जिले की सियासत में हलचल तेज हो गई है। चार पन्नों में फैली इस लंबी सूची को देखकर राजनीतिक गलियारों में व्यंग्य भी चल रहा है और चर्चा भी - क्योंकि अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष जैसे दो अहम पदों को छोड़ दिया जाए तो बाकी लगभग हर स्तर पर पदाधिकारियों की लंबी कतार नजर आ रही है। कई कार्यकर्ता इसे संगठन विस्तार बता रहे हैं, तो कई इसे 'तुम भी खुश, हम भी खुश' फॉर्मूले का नतीजा कह रहे हैं, सुरजपुर कांग्रेस की नई कार्यकारिणी ने जिले की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। किसी के लिए यह संगठन विस्तार का बड़ा कदम है, तो किसी के लिए 'पदों का महाकुंभ'। फिलहाल इतना तय है कि सूची ने सबको चर्चा का मौका जरूर दे दिया है-अब देखा जाये कि यह टीम मैदान में कितनी सक्रिय रहती है या फिर पदों की भीड़ में संगठन की दिशा कहीं खो न जाए।

पद इतने कि संगठन छोटा,सूची बड़ी लगने लगी

जारी सूची में जिलाध्यक्ष के रूप में सुश्री शशि सिंह का नाम शीर्ष पर है,कोषाध्यक्ष की नियुक्ति भी एकल है,लेकिन इसके बाद जैसे ही पदों का सिलसिला शुरू होता है,आंकड़ा तेजी से बढ़ता जाता है,उपाध्यक्ष,महामंत्री,मोडिया प्रभारी,प्रवक्ता से लेकर संयुक्त महामंत्री और सचिव तक-हर पद पर संख्या इतनी बढ़ी कि कार्यकारिणी कम और पदाधिकारियों की फेरिस्त ज्यादा दिखाई देने लगी, सबसे ज्यादा चर्चा सचिव पद को लेकर है,जहां 51 नाम शामिल किए गए हैं। वहीं संयुक्त सचिवों की संख्या 37 तक पहुंच गई है,स्थायी और विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची भी किसी मिनी सम्मेलन से कम नहीं दिख रही। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इतनी बड़ी टीम बनाकर पार्टी ने शायद यह सुनिश्चित कर लिया है कि 'कोई नाराज न रहे',भले ही जिम्मेदारियों का गणित बाद में तय करना पड़े।

'रेवड़ी मॉडल' या संगठन विस्तार?

सूची सामने आते ही विरोधी दलों के साथ-साथ कांग्रेस के अंदर भी हल्की-फुल्की चुटकी शुरू हो गई। कुछ नेताओं ने नाम न छपने की शर्त पर कहा कि यह कार्यकारिणी कम और 'रेवड़ी' वितरण योजना ज्यादा लग रही है, व्यंग्य में एक विरिष्ठ कार्यकर्ता ने कहा... 'पहले संगठन में जनह पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी,अब सूची इतनी लंबी है कि मेहनत कम और संतुलन ज्यादा दिखता है।'हालांकि पार्टी के समर्थक इसे सकारात्मक कदम बताते हुए कहते हैं कि ज्यादा

लोगों को जिम्मेदारी देने से संगठन जमीनी स्तर तक मजबूत होगा और चुनावी तैयारियों को गति मिलेगी।

सचिवों की फौज,कार्यकारिणी सदस्य पीछे : दिलचस्प पहलू यह भी है कि सचिव और संयुक्त सचिव पदों पर नियुक्तियां कार्यकारिणी सदस्यों से कई गुना ज्यादा हैं। इससे संगठनात्मक संरचना को लेकर सवाल उठ रहे हैं, राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जब पद ज्यादा और अधिकार कम हों,तो संगठन में जिम्मेदारी का स्पष्ट बंटवारा करना चुनौती बन जाता है, कुछ

संख्या इतनी कि कार्यकारिणी कम,सूची ज्यादा लगे...

- उपाध्यक्ष पद पर दर्जनभर नाम,
- महामंत्री और मोडिया प्रभारी में भी एक से अधिक नियुक्तियां,
- संयुक्त महामंत्री की लंबी सूची,
- सचिव पद पर तो मानो रिकॉर्ड बना दिया गया हो - 51 नाम,
- संयुक्त सचिव 37,
- स्थायी आमंत्रित सदस्य 24 और विशेष आमंत्रित सदस्य 28 तक पहुंच गए।

लोग मजाक में कह रहे हैं-'अब बैठक में कुर्सियां कम पड़ेंगी या माइक्रोफोन?'

कोषाध्यक्ष की नियुक्ति पर भी चर्चाओं का बाजार गर्म : नई कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष पद पर उद्योगपति वर्ग से जुड़े व्यक्ति की नियुक्ति ने अलग ही बहस छेड़ दी है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि क्या आगामी चुनावों को देखते हुए पार्टी आर्थिक रूप से मजबूत

वरिष्ठता का गणित बना पहेली

इतनी बड़ी सूची जारी होने के बाद कई नए पदाधिकारी इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि वरिष्ठता का पैमाना क्या होगा,सूची में नाम के क्रम से वरिष्ठता तय होगी या सभी को समान दर्जा मिलेगा-इस पर अभी स्पष्टता नहीं है, संगठन के पुराने नेताओं का कहना है कि जब पद ज्यादा और पदाधिकारी ज्यादा हों, तो सबसे बड़ी चुनौती तालमेल बनाए रखना होती है।

राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कार्यकारिणी केवल संगठन विस्तार नहीं बल्कि अंदरूनी गुटबाजी और असंतोष को संतुलित करने की रणनीति भी हो सकती है,जिले में लंबे समय से चल रही खींचतान को देखते हुए पार्टी ने शायद ज्यादा से ज्यादा चेहरों को शामिल कर 'सबको साथ' रखने का संदेश देने की कोशिश की है,लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इतनी बड़ी टीम मैदान में उतनी ही सक्रिय दिखाई देगी,या फिर सूची केवल कागजों में ही चमकती रह जाएगी।

आगे की राह: जिम्मेदारी या रिफंड पद?

अब असली परीक्षा तब होगी जब संगठनात्मक कार्यक्रम शुरू होंगे और देखा जाएगा कि इतने पदाधिकारी जमीन पर कितना सक्रिय रहते हैं, राजनीतिक हल्कों में चर्चा है कि अगर हर पदाधिकारी वास्तव में जिम्मेदारी निभाता है तो संगठन मजबूत हो सकता है, लेकिन अगर पद केवल नाम तक सीमित रहे तो यह सूची व्यंग्य का विषय बनती रहेगी।

चेहरा सामने लाना चाहती है, व्यंग्य में कुछ लोग उद्योगपति के पास।' हालांकि पार्टी के करीबी यह भी कह रहे हैं कि-'दौड़-भाग की जिम्मेदारी लोग इसे वित्तीय प्रबंधन मजबूत करने की रणनीति बता रहे हैं।

वाड़ाफनगर जनपद के पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी आया पुलिस के गिरफ्त में 30 लाख रुपये का फर्जीवाड़ा कर हुआ था फरार

-संवाददाता-
वाड़ाफनगर, 10 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

बलरामपुर जिले के वाड़ाफनगर मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद पंचायत वाड़ाफनगर क्षेत्र के ग्रामों में मुहम मिट्टी, सड़क व अन्य निर्माण का फर्जी बिल लगाकर,कट्टरचित दस्तावेजों के आधार पर करीब 30 लाख से अधिक की रकम का फर्जीवाड़ा कर कई वर्षों से फरार फरार चल रहा था, पुलिस ने आरोपी तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत वाड़ाफनगर को गिरफ्तार कर भेजा गया सलाखों के पीछे, पुलिस चौकी वाड़ाफनगर,थाना बसंतपुर,जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0) ने भगोड़ा आरोपी तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी को गिरफ्तार कर



यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। वर्तमान में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी वाड़ाफनगर के द्वारा प्रकरण में जनपद पंचायत के कर्मचारियों व सत्यायार का माननीय न्यायालय से धारा 164 जा0 फौ0 का कथन कराकर प्रकरण के गिर0 आरोपियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में पूरक चालान तैयार कर पेश किया गया है। प्रकरण के विवेचना के क्रम में आरोपी अश्विनी कुमार तिवारी के द्वारा अपने कथन में यह बताया गया है कि उसने एस. के. मरकाम व एक अन्य के साथ मिलकर शासकीय राशि 30,02,449 रु. का गबन किया गया है, प्रकरण में कई वर्षों से फरार आरोपी तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत वाड़ाफनगर श्रवण कुमार मरकाम उर्फ एस0 के0 मरकाम पिता स्व. बिकाउ राम मरकाम,उम्र 62 वर्ष,साकिन शिवमंदीर, महुआपारा वार्ड क्रमांक 04,थाना गांधीनगर, अम्बिकापुर को भेजा सलाखों के पीछे। जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत वाड़ाफनगर के ग्राम पंचायत तुर्वावा, गुडरू,जमई,पेण्डरी में मुहम मिट्टी,सड़क व सह पुलिया, तटबंध,डब्ल्यूवीएम निर्माण का फर्जी बिल लगाकर वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासकीय राशि का हेराफेरी कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर गबन करने के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत वाड़ाफनगर द्वारा पत्र क्रमांक-1825/मनरेगा/स्था/ज0पं0/2020-21 वाड़ाफनगर दिनांक 30/04/2020 के माध्यम से जांच रिपोर्ट एवं दस्तावेज पेश करने पर थाना बसंतपुर चौकी वाड़ाफनगर में आरोपी अश्विनी कुमार तिवारी कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा) जनपद पंचायत वाड़ाफनगर के विरुद्ध वर्ष 2020 में अपराध क्रमांक 50/2020 बारा 467,468,420,409, 34 ता.हि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना दौरान पूर्व में प्रकरण के आरोपी अश्विनी कुमार तिवारी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण में विवेचना दौरान मामले के अन्य आरोपी सत्यायार हरिहर यादव,कुजलाल साहू व रोजगार सहायक गिरीश

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत अम्बिकापुर में 260 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवदंपतियों को दिया आशीर्वाद

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 10 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।



महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत आज जिला मुख्यालय अम्बिकापुर स्थित पीजी कॉलेज के हॉकी मैदान में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। सामाजिक समरसता, परंपरा और सावर्णी का अद्भूत संमेलन बने इस आयोजन में कुल 260 नवविवाहित जोड़ों का विधि-विधान से विवाह सम्पन्न कराया गया। कार्यक्रम में गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष रायपुर सिंह देव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर महारथी मंत्रा भगत,नगर निगम सभापतिहरिमन्दर सिंह टिन्नी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में परियोजना शामिल हुए। अतिथियों ने नवदम्पतियों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए उनके सुखद,समृद्ध एवं सफल वैवाहिक जीवन की कामना की। विधि परंपराओं के अनुसार सम्पन्न

हुआ विवाह : सामूहिक विवाह समारोह में सामाजिक सौहार्द की सुंदर मिसाल देखने को मिली। कुल 260 जोड़ों में से 192 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार वैदिक मंत्रोच्चारण एवं पारंपरिक विधि-विधान से सम्पन्न कराया गया,वहीं 68 जोड़ों का विवाह ईसाई परंपरा के अनुसार सम्पन्न हुआ। दोनों ही प्रक्रिया के लिए पृथक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थीं,जिससे सभी समुदायों की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान किया जा सके। राज्यव्यापी आयोजन का हिस्सा : यह सामूहिक विवाह समारोह प्रदेश स्तर पर एक साथ आयोजित कार्यक्रम का हिस्सा था। रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े द्वारा वर्चुअल माध्यम से नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया गया। अम्बिकापुर में आयोजित कार्यक्रम में भी इस अवसर का सीधा प्रसारण किया गया, जिससे नवदम्पति एवं उनके परिजन भावनात्मक रूप से राज्य स्तरीय आयोजन से जुड़े रहे।

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहाय

जिला कार्यक्रम अधिकारी,महिला एवं बाल विकास विभाग,जे.आर. प्रधान ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2005 से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं के विवाह में सहयोग प्रदान करना है, ताकि आर्थिक अभाव विवाह में बाधा न बने। उन्होंने बताया कि योजना के प्रारंभ से अब तक सरगुजा जिले में 9,890 जोड़ों का विवाह इस योजना के माध्यम से सम्पन्न कराया जा चुका है। आज आयोजित समारोह में 260 जोड़ों को वैवाहिक बंधन में बंधने का अवसर मिला।

समारोह की सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं

कार्यक्रम स्थल पर वर-वधुओं एवं उनके परिजनों के लिए बैठक,भोजन,पेयजल, चिकित्सा,पंजीयन एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गई थी। विवाह संस्कारों के सुचारु संचालन हेतु पिंडों, पादरियों एवं सहयोगी दलों की तैनाती की गई थी। सुरक्षा, पाकिंग एवं यातायात व्यवस्था भी सुव्यवस्थित रही।

सामाजिक एकता का संदेश

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह ने केवल जरूरतमंद परिवारों के लिए आर्थिक सहयोग का माध्यम बना, बल्कि समाज में सादगीपूर्ण विवाह, सामूहिक सहभागिता और सामाजिक एकता का भी संदेश दिया।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भर्ती प्रक्रिया की लेट लतीफी से अभ्यर्थी परेशान

-संवाददाता-
लखनपुर, 10 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती प्रक्रिया कई महीनों से लंबित पड़ी हुई है, जिससे सैकड़ों अभ्यर्थी परेशान हैं। जुलाई 2025 में लखनपुर ब्लॉक के परियोजना कार्यालय में कार्यकर्ता व सहायिका कुल 22 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे जिनमें कार्यकर्ता के 5 व 17 सहायिका के रिक्त पद थे जिसमें लगभग 350 फॉर्म विभिन्न ग्राम पंचायतों के उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए थे,अज सात महीने बीत जाने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। अभ्यर्थियों के बार-बार पूछने पर परियोजना कार्यालय से बताया जाता है कि



मूल्यांकन समिति ने अभी तक स्थाई समिति का गठन नहीं किया है,जिसके कारण पूरा मामला अटक हुआ है। इस देरी से ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्यकर्ता और



सहायिका की कमी बनी हुई है, जिसका सीधा असर बच्चों की देखभाल,पोषण और शिक्षा पर पड़ रहा है। अभ्यर्थी बताते हैं कि वे लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और बार-बार

कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं,लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिल रही। स्थानीय स्तर पर इस मुद्दे को लेकर नाराजगी बढ़ रही है, और उम्मीद है कि जल्द ही स्थाई समिति गठित होकर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। संबंधित विभाग से उम्मीदवारों की मांग है कि इस लंबित प्रक्रिया को प्राथमिकता देकर जल्द पूरा किया जाए ताकि योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति मिल सके और आंगनवाड़ी केंद्र सुचारु रूप से चल सकें। इस संबंध में जिला परियोजना अधिकारी जे आर प्रधान ने बताया कि जितने भी आवेदन आए हुए हैं मूल्यांकन समिति के द्वारा अंक सूची का सत्यापन किया जा रहा है जिससे थोड़ा सा विलंब हो रहा है आगामी एक महीना के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

स्व. देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव की छठवीं पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 10 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

स्व देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव की छठवीं पुण्यतिथि पर मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन में श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उनके ज्येष्ठ पुत्र पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी उपस्थित थे। स्व. देवेन्द्र कुमारी सिंह देव अम्बिकापुर व बैकुंठपुर से विधायक भी रहीं। राजीव भवन में श्रद्धांजलि उपरांत प्रतीक्षा बस स्टैंड चौक पर पूर्व महाराज स्व. एमएस सिंहदेव एवं स्व देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव के युगल प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके उपरांत मां महामाया एवं उनके परिजन भावनात्मक रूप से राज्य स्तरीय आयोजन से जुड़े रहे।



सिंहदेव ने प्रसाद का वितरण किया। इस दौरान डॉ. प्रेमसाय सिंह,अजय अग्रवाल,जेपी श्रीवास्तव,डॉ. अजय तिर्की,रमेश गुप्ता,हेमंत सिन्हा,मो इस्लाम,विनय शर्मा,इंद्रजीत सिंह धंजल,सत्येन्द्र तिवारी,जगन्नाथ कुशवाहा सहित अन्य मौजूद थे।

आग में जली ट्रक ने खोली पोल

प्रतिबंधित थाई मांगूर की सप्लाई पर

सिस्टम खामोश क्यों?

बैन मछली का 'ब्लाइंड ट्राजिड': उड़ीसा से एमपी तक पहुंची खेप, जांच पर बड़े सवाल
प्रतिबंध कागजों में, सड़क पर कारोबार—आग लगी तो खुला मांगूर तस्करी का राज



-रवि सिंह-

कोरिया, 10 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

कभी-कभी एक हादसा सिर्फ दुर्घटना नहीं होता, बल्कि उस सिस्टम का आईना बन जाता है जो कागजों में सख्त और जमीन पर ढीला नजर आता है, पटना थाना क्षेत्र के रनई के पास उड़ीसा से मध्यप्रदेश की ओर जा रही एक ट्रक में लगी आग ने भी कुछ ऐसा ही किया, ट्रक जलने के बाद सड़क पर पानी में तैरती हजारों मछलियों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया—जब थाई मांगूर मछली पूरे देश में प्रतिबंधित है, तो यह इतनी आसानी से राज्यों की सीमाएं पार कैसे कर रही थी? अगर यह ट्रक नहीं जलता, तो शायद यह खेप भी बिना किसी शोर-शराबे के अपने गंतव्य कटनी पहुंच जाती और सिस्टम को भनक तक नहीं लगती।

जांच चौकियां या सिर्फ औपचारिकता?

जानकारी के मुताबिक यह ट्रक उड़ीसा से चला और जशपुर, सरगुजा, सूरजपुर होते हुए कोरिया जिले तक पहुंच गया, इतनी लंबी दूरी तय करने के बावजूद कहीं कोई जांच नहीं हुई—न मत्स्य विभाग की नजर पड़ी, न परिवहन जांच की सख्ती दिखाई और न ही स्थानीय प्रशासन ने कोई संदेह जताया, यही वह बिंदु है जहां सवाल की कतार शुरू होती है, क्या प्रतिबंधित सामग्री की पहचान करना किसी की जिम्मेदारी नहीं रही? क्या जांच चौकियां सिर्फ कागजों पर ही सक्रिय हैं? या फिर अवैध सप्लाई करने वालों को पहले से पता रहता है कि कहां रोक नहीं लगेगी? यह घटना साफ संकेत देती है कि अवैध नेटवर्क सिर्फ सक्रिय ही नहीं, बल्कि सिस्टम की कमजोरियों को समझकर काम कर रहा है।

प्रतिबंधित मछली का खुला खेल

थाई मांगूर मछली को वर्षों पहले पर्यावरण और स्वास्थ्य कारणों से प्रतिबंधित किया गया था, इसके बावजूद यह मछली चोरी-छिपे पाली जा रही है और ट्रकों में भरकर एक राज्य से दूसरे राज्य तक भेजी जा रही है, स्थानीय लोगों के अनुसार, आग बुझने के बाद जब ट्रक का पिछला हिस्सा खुला तो पानी के साथ बड़ी संख्या में मछलियां बाहर निकलने लगीं। देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ लग गई और लोग मछलियां पकड़कर घर ले जाते रहे, नियमों के अनुसार ऐसी स्थिति में—पूरी खेप को जब्त करना चाहिए था, मछलियों को गड्ढा खोदकर नष्ट करना चाहिए था, और परिवहनकर्ता पर तत्काल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन मौके पर यह सख्ती दिखाई नहीं दी, उल्टा, चर्चा यह भी रही कि ट्रक मालिक दूसरी गाड़ी बुलाकर बची हुई मछलियों को आगे भेजने की कोशिश कर रहा था।

हादसा नहीं होता तो क्या खुलता सच?

यह सवाल सबसे अहम है—अगर ट्रक में आग नहीं लगती तो क्या प्रशासन को कभी पता चलता कि प्रतिबंधित मछली इतनी आसानी से जिले की सीमा तक पहुंच चुकी है? संभवतः नहीं, यही वजह है कि इस घटना को लोग दुर्घटना से ज्यादा खुलासा मान रहे हैं, क्योंकि यहां पकड़ा गया नेटवर्क शायद उस बड़े अवैध सिस्टम की सिर्फ एक झलक भर हो सकता है।

सिस्टम सोया या सुलाया गया?

रनई की घटना एक चेतावनी है, यह बताती है कि कानून बनाने भर से समस्या खत्म नहीं होती, उसे जमीन पर लागू करना भी उतना ही जरूरी है, आज सवाल सिर्फ एक ट्रक या कुछ हजार मछलियों का नहीं है, सवाल यह है कि अगर हादसा नहीं होता, तो शायद यह 'प्रतिबंधित सफर' भी सिस्टम की आंखों से बचकर चुपचाप पूरा हो जाता।

पर्यावरण और स्वास्थ्य पर खतरा...

विशेषज्ञ बताते हैं कि थाई मांगूर मछली किसी भी तरह के पानी में जीवित रह सकती है और स्थानीय मछलियों के लिए खतरा बनती है, गंदे वातावरण में पाली जाने के कारण इसके जरिए संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है, इसी वजह से इसे प्रतिबंधित किया गया था ताकि न केवल पर्यावरण सुरक्षित रहे, बल्कि लोगों की सेहत पर भी असर न पड़े, लेकिन जब ऐसी मछली खुलेआम सड़कों पर घूमती दिखाई दे, तो यह सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा भी बन जाता है।

कानून सख्त, अमल ढीला...

देश में थाई मांगूर मछली के पालन, बिक्री और परिवहन पर प्रतिबंध कोई नई बात नहीं है मत्स्य विभाग और पर्यावरण एजेंसियों को समय-समय पर निर्देश दिए जाते रहे हैं कि कहीं भी इस मछली का उत्पादन या भंडारण मिले तो उसे तुरंत नष्ट किया जाए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है, रनई की घटना यह बताती है कि प्रतिबंध कागजों में भले सख्त हो, लेकिन जमीन पर उसका पालन ढीला नजर आता है।



मुनाफे का गणित और कानून की हार

थाई मांगूर के अवैध कारोबार की सबसे बड़ी वजह उसका तेज उत्पादन और भारी मुनाफा है, कम समय में तेजी से वजन बढ़ता है, पालन सस्ता पड़ता है, बाजार में अच्छी कीमत मिल जाती है, यानी जोखिम ज्यादा है, लेकिन मुनाफा उससे भी ज्यादा, यही वजह है कि तस्करी कानून की परवाह किए बिना इसे राज्यों के बीच भेज रहे हैं, कहा जाता है कि अवैध व्यापार वहीं फलता-फूलता है जहां निगरानी कमजोर हो—और यह घटना उसी सिद्धांत को साबित करती नजर आती है।



जिम्मेदारी किसकी?

इस पूरे मामले में कई विभागों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं—परिवहन जांच व्यवस्था, मत्स्य विभाग की निगरानी, स्थानीय पुलिस की सतर्कता, और प्रशासनिक समन्वय, जब एक प्रतिबंधित वस्तु इतने लंबे रास्ते से गुजरकर गंतव्य के करीब पहुंच जाए, तो यह सिर्फ एक विभाग की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता मानी जाती है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 189 जोड़ों का सामूहिक विवाह

विधायक श्याम बिहारी जायसवाल रहे मुख्य अतिथि

-संवाददाता-
खड़गपुर, 10 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत खड़गवां क्षेत्र के चनवारीडंड स्थित मां महामाया धाम में 189 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ। धार्मिक और उत्सवी वातावरण में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में परिजन, बाराती और स्थानीय नागरिक शामिल हुए।

समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल उपस्थित रहे। उनके साथ अनुविभागीय अधिकारी, स्थानीय सरपंच, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

कार्यक्रम के दौरान सभी वर-वधु जोड़ों का पारंपरिक रीति-रिवाजों से विवाह संपन्न कराया गया। विभाग की ओर से प्रत्येक नवदंपति को ₹35,000 की प्रोत्साहन राशि का चेक तथा लगभग ₹15,000 का श्रृंगार एवं गृहस्थी सामग्री उपहार स्वरूप प्रदान किया गया।

मुख्य अतिथि विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि राज्य सरकार बेटियों के हित में निरंतर अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं चला रही है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष योजना में विवाह के लिए किसी प्रकार की संख्या सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जिन पत्र बेटा-बेटियों को विवाह करना है, वे महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में सामूहिक विवाह आयोजित किए जा रहे हैं। विधायक जायसवाल ने अपने संबोधन में नवदंपतियों और उपस्थित लोगों से सड़क सुरक्षा को लेकर भी अपील की। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि द्वारा कई नवविवाहित जोड़ों को मंच पर चेक और उपहार सामग्री प्रदान कर उनके सुखद वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी गईं। समारोह का सफल संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया गया।



आगामी कार्ययोजना को लेकर भाजपा बूथ प्रभारियों की बैठक, संगठन मजबूती पर बना रोडमैप

छिंदडांड जिला कार्यालय में हुई बैठक, बूथ स्तर तक योजनाओं को पहुंचाने पर जोर

-संवाददाता-
बैकुंठपुर, 10 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

भारतीय जनता पार्टी जिला कोरिया द्वारा आगामी कार्ययोजना को लेकर बूथ स्तरीय प्रभारियों की महत्वपूर्ण बैठक भाजपा जिला कार्यालय छिंदडांड में आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पी. दीनदयाल उपाध्याय के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। बैठक में संगठन विस्तार, बूथ सशक्तिकरण और जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी, पूर्व जिलाध्यक्ष कृष्णबिहारी जायसवाल, सहकारी बैंक सरगुजा उपाध्यक्ष जगदीश साहू, जिला उपाध्यक्ष बसंत राय, अशोक जायसवाल, राजेश सिंह, चुन्नी पैकरा, अनिल साहू, जनपद उपाध्यक्ष प्यारे साहू, जिला महामंत्री पंकज गुप्ता, कपिल जायसवाल सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।



और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाना पार्टी की प्राथमिकता है। उन्होंने बूथ प्रभारियों को आह्वान किया कि वे बूथ स्तर पर प्रवास कर समितियों का सत्यापन करें और संगठन की संरचना को और मजबूत बनाएं। पूर्व जिलाध्यक्ष कृष्णबिहारी जायसवाल ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत रोजगार गारंटी जैसी योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और श्रमिक वर्ग आर्थिक रूप से सशक्त होगा। बैठक में जिला सह मीडिया प्रभारी गणेश यादव, सोशल मीडिया प्रभारी जगनारायण साहू, मंडल अध्यक्ष अनिल खटिक, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सतेन्द्र राजवाड़े, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रीता यादव, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष शिवचरण साहू सहित बड़ी संख्या में बूथ प्रभारी और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान संगठन विस्तार और आगामी अभियानों को लेकर विस्तृत कार्ययोजना पर सहमति बनी।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०)
भैयाथान, जिला सूरजपुर, 80700

रा०प्र०क्र० /अ-2/2025-26

ईशतहार

एतद् द्वारा आम ग्रामीण जन ग्राम पंचायत बैजनाथनगर नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद जिला सूरजपुर को सूचित किया जाता है कि श्री बिरेन्द्र कुमार पिता गोरालाल निवासी बैजनाथनगर के द्वारा अपने स्वत्व एवं अधिपत्य की भूमि खसरा नं० 1449/5 रकबा 0.19 हे० में से 0.04 हे० जो ग्राम बैजनाथनगर प.ह.नं० 22 रा०नि०म० सलका तहसील भटगांव जिला सूरजपुर में स्थित है के आवासीय भू परिवर्तन (डायवर्सन) हेतु इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त संबंध में ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका निगम क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा किसी विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्रकरण में नियत दिनांक 16.02/2026 को न्यायालयीन समयावधि में उपस्थित होकर दावा / आपत्ति पेश कर सकता है। निवृत्त तिथि के पश्चात प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 02/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

सील अनुविभागीय अधिकारी (रा०) भैयाथान, सूरजपुर

न्यायालय तहसीलदार रामानुजगंज
जिला बलरामपुर, रामानुजगंज, 80700

क्रमांक/177/वाचक/तह./2026
रामानुजगंज दिनांक-28/01/2026

ईशतहार

एतद् द्वारा आम जनता ग्राम-रामानुजगंज को सूचित किया जाता है कि आवेदक मो० अकबर आ० कमरुद्दीन निवासी रामानुजगंज थाना व तहसील रामानुजगंज जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ०ग०) के द्वारा के पुत्री सानीया आफरीन के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

यदि उक्त जाच बिन्दु में वर्णित तथ्य के संबंध में जिस किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई दावा/आपत्ति हो तो वह स्वयं या अपने अभिभावक के माध्यम से दिनांक-16/2/2026 को अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त नियत समयावधि के पश्चात प्रस्तुत दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक- 28/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

सील तहसीलदार रामानुजगंज जिला-बलरामपुर-रा-गंज

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा, 80700

ईशतहार
रा.प्र.क्र./अ-2/2025-26

ईशतहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक तारिक बदन सिंहकी पिता बदरुद्दीन सिद्दीकी जाति मुसलमान निवासी नवागढ़ तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिकारिक भूमि स्थित ग्राम मायापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 356/132 रकबा 0.032 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की वी 1 खसरा रजिस्ट्री की प्रति आदि सहित आवेदन प्रस्तुत किया है जो इस सायालय में विचारार्थ है।

अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 17 /2 /2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवाक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 09/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

सील अनुविभागीय अधिकारी (रा०) अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा.

रा०प्र०क्र०/...../अ-20(3)/2025-26

ईशतहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक गुंजा बाई उर्फ गुंजी बाई पुत्री हीराधन, कजससा भुंया उर्फ कजान राम आ० हीराधन, दादां जाति भुंया, निवासी दरौपार अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ०ग० के द्वारा अपने स्वामित्व की शीट नंबर 10 मोहल्ल दरौपार, नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल भूखण्ड क्रमांक 3836 रकबा 0.04 एकड़ में से रकबा 0.01, 1/2 एकड़ भूमि को अनावेदक / केता चंदवती पासवान पत्नी छत्रपाल पासवान, जाति पासवान, निवासी दरौपार, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ०ग० के पास विक्रय करने की अनार्षित प्रमाण पत्र हेतु मेन्टेन्स खसरा, राषय पत्र की छायाप्रति सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भू-खण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवाक्ता के माध्यम से दिनांक 18/02/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निवृत्त समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक- 03.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

सील नजूल अधिकारी अम्बिकापुर

सीएम के रास्ते साफ, पर शिकायतों पर ताला

बैकुंठपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान

या दिखाओ अभियान?



जनदर्शन में सुनवाई, ज़मीन पर चुप्पी-पुराने बस स्टैंड का अतिक्रमण बना प्रशासन की परीक्षा

जहां वीआईपी नजर, वहां बुलडोजर तेज... बाकी जगह नियम भी धूप में सूखते?

जनदर्शन या मुखदर्शन? खबरें छपीं, आवेदन हुए, फिर भी अतिक्रमण जस का तस...

चौड़ीकरण के नाम पर चयनात्मक कार्रवाई-बैकुंठपुर में नियमों की नई परिभाषा...

बुलडोजर का जीपीएस ऑन: सीएम मार्ग चमका, बस स्टैंड फिर भी बचा!

फल धूप में सूखे या नियम? अतिक्रमण पर प्रशासन की मीठी चुप्पी

—रवि सिंह—
कोरिया, 10 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।
मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे से पहले बैकुंठपुर शहर में अतिक्रमण हटाने की ऐसी तेज रफ्तार देखने को मिली, मानो वर्षों से सोई हुई व्यवस्था अचानक अलार्म बजते ही जाग गई हो, घड़ी चौक से लेकर खरबत चौक तक फुटपाथ, छोटे टेले, बोर्ड और अस्थायी ढांचे हटाकर सड़क को चमका दिया गया, ताकि वीआईपी काफिले को कहीं असुविधा न हो, लेकिन इसी चमक के बीच पुराने बस स्टैंड का वह अतिक्रमण आज भी जस का तस खड़ा है, जिस पर वर्षों से शिकायतें हो रही हैं, खबरें छप रही हैं और जनदर्शन में आवेदन दिए जा रहे हैं, सवाल उठ रहा है कि



आखिर यह कार्रवाई नियमों के तहत हो रही है या फिर जहां कैमरा, वहां कार्रवाई-वाला फार्मूला लागू है।



पुलिस बल की कमी या इच्छाशक्ति की?

जनदर्शन के दौरान प्रशासन की ओर से यह तर्क दिया गया कि अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस बल उपलब्ध नहीं है। लेकिन यही शहर तब चौक गया जब मुख्यमंत्री के आगमन की खबर मिलते ही उसी प्रशासन को अचानक पर्याप्त पुलिस बल भी मिल गया और बुलडोजर भी, स्थानीय नागरिकों का सवाल सीधा है, क्या पुलिस बल भी वीआईपी कैलेंडर देखकर ही उपलब्ध होता है?

फल धूप में सूखते हैं या नियम?

नगर पालिका का तर्क है कि फल व्यवसायियों का माल धूप में खराब हो जाता है, इसलिए उन्हें दुकान के बाहर रखने की अनुमति दी गई है, लेकिन शिकायतकर्ताओं का कहना है कि अनुमति के नाम पर पूरी 12 फीट की गैलरी ही कब्जे में ले ली गई है। पैदल चलने के लिए छोड़ी गई जगह अब फल के क्रेट, तिरपाल और अस्थायी ढांचों से भरी पड़ी है, व्यंग्य करते हुए स्थानीय लोग कहते हैं कि बैकुंठपुर में अब नया नियम बन गया है-जहां धूप ज्यादा पड़े, वहां अतिक्रमण वैध।

आप भी बाहर निकाल लो-नियमों का नया सिद्धांत?

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि जब उन्होंने नगर पालिका से कार्रवाई की मांग की तो जवाब मिला-आप भी बाहर निकाल लो। यह कथन अपने आप में व्यवस्था की मानसिकता को उजागर करता है, अगर हर व्यक्ति को अतिक्रमण की खुली छूट दे दी जाए तो फिर कानून की किताबों को संग्रहालय में रख देना ही बेहतर होगा।

सीएम का रास्ता और भाजपा कार्यालय के सामने सवाल

मुख्यमंत्री जिस मार्ग से गुजरेंगे, वहां भाजपा कार्यालय के सामने निर्माण सामग्री सड़क किनारे रखे जाने की चर्चा भी जोरों पर है। छोटे दुकानदारों के तिरपाल हटाने में जिस तेजी से कार्रवाई हुई, वही तेजी यहाँ क्यों नहीं दिख रही-यह सवाल शहर की चाय दुकानों से लेकर सोशल मीडिया तक गूँज रहा है, कुछ लोग तंज करते हैं-बुलडोजर भी शायद जीपीएस से चलता है, जहाँ आदेश मिले वहीं रुक जाता है।

सड़क चौड़ीकरण या चयनात्मक सफाई?


शहर में प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन पहले से तैयारी कर रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री के दौरे ने इस तैयारी को अचानक मिशन मोड में बदल दिया, छोटे व्यवसायियों का दर्द यह है कि सालों से बैटकर रोजी-रोटी कमाने वाले लोगों को एक झटके में हटा दिया गया, जबकि प्रभावशाली जगहों पर बने अतिक्रमण पर फाइलों की धूल अभी भी मोटी होती जा रही है।

जनदर्शन पर उठता भरोसे का संकट

जनदर्शन को आम जनता की समस्याओं के समाधान का मंच बताया जाता है, लेकिन पुराने बस स्टैंड का मामला अब इस मंच की प्रभावशीलता पर सवाल बन गया है, कई बार शिकायत, कई बार खबर और कई बार आश्वासन-लेकिन परिणाम शून्य, लोग अब कहने लगे हैं कि जनदर्शन में समाधान कम और फोटो ज्यादा मिलते हैं।



खबर छपी, जनदर्शन हुआ... लेकिन जमीन पर वही पुराना दृश्य
पूर्व में प्रकाशित खबर में पुराने बस स्टैंड की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को विस्तार से उजागर किया गया था, शिकायतकर्ता ने जनदर्शन में आवेदन देकर उम्मीद जताई थी कि अब शायद प्रशासन जागृता और सार्वजनिक गैलरी आम लोगों के लिए खुल सकेगी। जनदर्शन में सुनवाई भी हुई, आश्वासन भी मिला, लेकिन महीनों बाद भी न तो गैलरी खाली हुई और न ही अतिक्रमण हटाने की कोई ठोस कार्रवाई नजर आई, अब स्थानीय लोग तंज करते हुए कहते हैं कि जनदर्शन शायद समस्या सुनने का मंच कम और मुखदर्शन का कार्यक्रम ज्यादा बन गया है-जहाँ जनता अपनी समस्या सुनाती है और फाइलें सुनकर सो जाती हैं।



निर्माणाधीन भाजपा कार्यालय कोरिया

स्थानीय जनता की मांग और प्रशासन के लिए आईना

स्थानीय नागरिकों की मांग है कि सभी अतिक्रमणों पर समान नियम लागू हों, सार्वजनिक गैलरी और रास्ते आम लोगों के लिए मुक्त किए जाएं, जनदर्शन में दिए गए आवेदनों पर समयबद्ध कार्रवाई हो, और वीआईपी दौरे से पहले नहीं, बल्कि पूरे साल नियमों का पालन कराया जाए।

दिखावे की सफाई या व्यवस्था की सच्चाई?

बैकुंठपुर में चल रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या प्रशासन का बुलडोजर सिर्फ वीआईपी नजरो के लिए चलता है, या फिर यह शहर की स्थायी व्यवस्था सुधारने का प्रयास है, अभी हालात यह हैं कि मुख्यमंत्री के स्वागत में सड़कें जरूर चमक रही हैं, लेकिन जनदर्शन में की गई शिकायतों की फाइलें शायद अभी भी किसी अलमारी में धूप सेंक रही हैं, और शहर पूछ रहा है-क्या अतिक्रमण हटाने की असली परीक्षा मुख्यमंत्री के जाने के बाद शुरू होगी, या फिर सब कुछ फिर से 'जैसा था वैसा' हो जाएगा?

पटना थाना में आरक्षक पर आरोपों की बौछार : मारपीट की शिकायत से खुले पुराने विवादों के पन्ने

मारपीट से अवैध कारोबार तक... पटना में जमे आरक्षक पर उठे बड़े सवाल, थाने के अंदर विवाद, बाहर चर्चाओं का बाजार-आरक्षक पर गंभीर आरोपों से पुलिस की साख दांव पर शिकायत से गरमाया पटना थाना : लंबे समय से जमे आरक्षक पर कार्रवाई की मांग तेज, एक आरक्षक और कई आरोप... क्या सिस्टम की चुप्पी से बढ़ रहा विवाद ?

स्थानांतरण के बावजूद लंबे समय से जमे रहने पर सवाल

पटना थाना क्षेत्र में आरक्षक के लंबे समय से पदस्थ रहने को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है, स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थानांतरण आदेश की बातें सामने आने के बावजूद वह लंबे समय से इसी क्षेत्र में सक्रिय है। लोगों का मानना है कि एक ही स्थान पर लंबे समय तक जमे रहने से विवाद और शिकायतों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे पुलिस विभाग की छवि प्रभावित होती है, जानकारों का कहना है कि पुलिस विभाग में समय-समय पर स्थानांतरण की प्रक्रिया पारदर्शिता बनाए रखने और निष्पक्षता कायम रखने के लिए जरूरी मानी जाती है, ऐसे में यदि किसी कर्म को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं, तो विभागीय स्तर पर गंभीरता से समीक्षा की जानी चाहिए।

पुलिस की साख पर पड़ रहा असर

क्षेत्र के कुछ सामाजिक संगठनों और नागरिकों का कहना है कि लगातार सामने आ रहे आरोपों के कारण पूरे पुलिस महकमे की छवि प्रभावित हो रही है, उनका कहना है कि यदि समय रहते शिकायतों की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो आम लोगों का भरोसा कमजोर हो सकता है, लोगों ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो भी तथ्य सामने आए, उसके आधार पर सख्त कार्रवाई हो, हालांकि कई लोगों का यह भी कहना है कि किसी भी पुलिसकर्मी पर लगाए गए आरोपों की जांच निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर ही होनी चाहिए, तब बिना पुष्टि के किसी की छवि को नुकसान न पहुंचे।



—रवि सिंह—
कोरिया/पटना, 10 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।
जिले के पटना थाना क्षेत्र में पदस्थ आरक्षक अमल एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गए हैं, हाल ही में पुलिस अधीक्षक कोरिया सौंप गए एक लिखित शिकायत पत्र में आरक्षक पर मारपीट और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, इस शिकायत के सामने आने के बाद क्षेत्र में पहले से चल रही चर्चाएं और पुराने आरोप भी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं, जिससे पुलिस विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं, हालांकि, इन सभी आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

अधिकारियों की चुप्पी, जांच का इंतजार...

इस पूरे मामले में पुलिस विभाग की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, सूत्रों का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद विभागीय स्तर पर जानकारी जुटाई जा रही है, यदि जांच शुरू होती है तो मारपीट की शिकायत के साथ-साथ अन्य लगाए गए आरोपों की भी पड़ताल हो सकती है।

क्या कहते हैं जानकार

कानूनी जानकारों का कहना है कि पुलिसकर्मीयों के खिलाफ आने वाली शिकायतों की जांच बेहद संवेदनशील होती है, एक ओर जहां आम नागरिकों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना जरूरी है, वहीं दूसरी ओर बिना ठोस सबूत किसी पर आरोप तय करना भी उचित नहीं माना जाता, इसलिए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच ही इस पूरे विवाद का सही समाधान मानी जा रही है।

मारपीट की शिकायत से शुरू हुआ नया विवाद

शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए आवेदन में बताया गया है कि 2 फरवरी 2026 को वह किसी मामले में थाना पटना में मौजूद था, इस दौरान आधार कार्ड मांगने को लेकर हुई बातचीत के बीच कथित रूप से आरक्षक अमल कुमार ने बिना कारण गाली-गलौज शुरू कर दी और फिर मारपीट की, शिकायत में यह भी कहा गया है कि घटना के दौरान थाना परिसर में अन्य लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने पूरी घटना देखी और सुनी, पीड़ित ने जबड़े और कंपटी में चोट लगने की बात कहते हुए निष्पक्ष जांच और आरोपों के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग की है, शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपी आरक्षक उसी थाना में पदस्थ होने के कारण भय के माहौल में वह तत्काल रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सका। आवेदन पुलिस अधीक्षक को सौंप जाने के बाद अब पूरे मामले पर विभागीय कार्रवाई को लेकर नजरें टिकी हुई हैं।

पुराने आरोपों की चर्चा फिर तेज

मारपीट की शिकायत सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर कई लोगों ने आरक्षक के खिलाफ पुराने आरोपों को भी दोहराना शुरू कर दिया है, कुछ स्थानीय नागरिकों और सूत्रों का दावा है कि उक्त आरक्षक के खिलाफ पहले भी लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान करने और दबाव बनाने की शिकायतें आती रही हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है, सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि क्षेत्र में चल रहे कुछ कथित अवैध कारोबारों को संरक्षण मिलने की चर्चाएं समय-समय पर उठती रही हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने जुए के मामलों में भी आरक्षक का नाम सामने आने का दावा किया है, लेकिन इन सभी आरोपों पर अभी तक किसी आधिकारिक द्वारा पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए इन्हें जांच के दायरे में आने वाले आरोप ही माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 6412 जोड़ों का सामूहिक विवाह... राजधानी में सीएम साय की मौजूदगी में 1316 जोड़ों ने लिए सात फेरे, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ आयोजन

रायपुर, 10 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ में आज एक ऐतिहासिक दिन दर्ज हो गया, जब मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रदेशभर में एक ही दिन में 6,412 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। इसका मुख्य कार्यक्रम रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित किया गया, जहाँ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में 1,316 जोड़ों का विवाह कराया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, मंत्री गुरु सुशवंत साहेब, विधायक और निगम मंडल के अध्यक्ष शामिल हुए। सभी जनप्रतिनिधि पारंपरिक साफा बांधकर बाराती की भूमिका में नजर आए। वहीं मुख्यमंत्री ने मंच से नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रत्येक विवाहित जोड़े के खाते में 35 हजार रुपये की सहायता राशि भेजी जा रही है, जबकि 15 हजार रुपये उपहार सामग्री और विवाह आयोजन पर खर्च किए गए हैं। बलौदाबाजार, धमतरी, दुर्ग, महासमुंद्र और राजनांदगांव जिलों के जोड़े ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े।



विभिन्न समाजों के जोड़े, आत्मसमर्पित नक्सलियों का भी विवाह

प्रदेश में हुए विवाहों में 6,281 हिंदू रीति, 10 बैगा जनजाति, 3 मुस्लिम, 5 बौद्ध और 13 ईसाई समाज के जोड़े शामिल रहे। खास बात यह रही कि 6 आत्मसमर्पित पूर्व नक्सलियों के विवाह भी सामूहिक आयोजन में कराए गए। गरियाबंद में 4, जबकि सुकमा और दंतवाड़ा में एक-एक जोड़े का विवाह कराया गया। मुख्यमंत्री ने गरियाबंद के आत्मसमर्पित नक्सली दंपति से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर उन्हें दंपत्य जीवन की शुभकामनाएं दीं।



कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री साय ने कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ भी किया। पहले चरण में 6 माह से 52 माह तक के 40 हजार कुपोषित बच्चों को शामिल किया जाएगा। अभियान की शुरुआत बस्तर संभाग के बीजापुर, दंतवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा जिलों से होगी। कार्यक्रम में मंच से महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मजाकिया अंदाज में कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत इसी स्थल पर युवा मंत्री गुरु सुशवंत साहेब का विवाह कराने की भी इच्छा थी, लेकिन उन्हें कन्या नहीं मिली। उन्होंने कहा कि अगली बार जब कन्या विवाह का आयोजन होगा, तब गुरु सुशवंत साहेब का विवाह भी कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री साय का संबोधन
वहीं मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि नया जीवन शुरू करने वाले वैदी-दामाद को शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। आज 6 हजार 412 जोड़ों ने अपना नया जीवन शुरू किया। उनका दंपत्य जीवन सुखमय और मंगलमय हो। यह योजना वर्ष 2005 में डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में शुरू की गई थी। पहले वैदी की शादी को लेकर परिवारों को विता सती थी। आर्थिक समस्याएं होती थीं, पिता को कर्ज लेना पड़ता था और वैदी की शादी के कई साल बाद तक कर्ज चुकाना पड़ता था। डॉ. रमन सिंह ब्याई के पाव हैं, जिन्होंने इस योजना की शुरुआत की। यह एक बहुत अच्छी योजना है। अलग-अलग शादी होती तो इतने लोग एक साथ आशीर्वाद देने नहीं पाते। हमारी सरकार को अब दो साल पूरे हो गए हैं। प्रदेश में एक ही दिन में 6 हजार 412 जोड़ों के विवाह के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह में एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। रायपुर सहित प्रदेश के कई स्थानों पर कुल 6 हजार 412 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है, जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है।

छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया में आई तेजी...98% नोटिसों की सुनवाई पूरी

रायपुर, 10 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 की प्रक्रिया तीव्र गति से संचालित की जा रही है। एसआईआर के अंतर्गत ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को किया गया था। इसके बाद दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया 23 दिसंबर से 22 जनवरी 2026 तक पूरी की गई। वर्तमान में प्राप्त दावों एवं आपत्तियों पर सुनवाई और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया 14 फरवरी 2026 तक जारी है। एसआईआर की गणना चरण के दौरान प्राप्त गणना प्रपत्रों के आधार पर जिन मतदाताओं का मिलान वर्ष 2003 की विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची से नहीं हो पाया, उन्हें संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा नियमानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किए गए। सभी संबंधित मतदाताओं को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया। सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 13 निर्धारित दस्तावेजों में से आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। नियमानुसार सुनवाई एवं दस्तावेजों के परीक्षण के बाद निर्वाचक रजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने अथवा न किए जाने का अंतिम निर्णय लिया जा रहा है। यह प्रक्रिया 14 फरवरी 2026 तक जारी रहेगी। अब तक राज्यभर में जारी किए गए लगभग 98 प्रतिशत नोटिसों की सुनवाई पूरी की जा चुकी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद दावा-आपत्ति आवधि के दौरान जिन वैध मतदाताओं का नाम सूची



में शामिल नहीं था, उन्होंने नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र-6, मतदाता विवरण में सुधार के लिए घोषणा पत्र सहित प्रपत्र-8 एवं नाम विलोपन अथवा आपत्ति के लिए घोषणा पत्र सहित प्रपत्र-7 प्रस्तुत किए। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दावा-आपत्ति आवधि (23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026) के दौरान विधानसभा स्तर पर निर्वाचक रजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा सामाहिक बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में प्रति सप्ताह प्राप्त दावों एवं आपत्तियों की सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा की गई, ताकि राजनीतिक दलों द्वारा सूचियों का अवलोकन कर पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने एवं अपात्र मतदाताओं के नाम विलोपन की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा सके। दावों एवं आपत्तियों की सुनवाई तथा सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात पात्र पाए गए आवेदनों का विधिवत निस्तारण किया जा रहा है। 21 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

हाई कोर्ट ने निरस्त की व्याख्याता के रिटायरमेंट के बाद जीपीएफ से वसूली, कहां-6 माह बाद किसी भी किस्म की वसूली अवैध

बिलासपुर, 10 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में व्याख्याता के रिटायरमेंट के 6 माह बाद जीपीएफ से वसूली आदेश को निरस्त कर दिया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सेवानिवृत्त होने के 6 माह बाद किसी भी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) की राशि से किसी भी प्रकार की वसूली करने को अवैध माना जाएगा। जंजीर-चांपा जिले के पामगढ़ निवासी सेवानिवृत्त व्याख्याता लक्ष्मी नारायण तिवारी ने याचिका दायर की थी। वे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ससला में व्याख्याता के पद पर पदस्थ थे। लक्ष्मीनारायण तिवारी 31 जनवरी 2011 को 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर रिटायरमेंट हुए थे। रिटायरमेंट के करीब 12 साल बाद महलेखारकर कार्यालय रायपुर ने उनके जीपीएफ खाते में ऋणात्मक शेष दर्शाते हुए उनके खिलाफ वसूली आदेश जारी कर दिया। इस आदेश से श्रद्धेय शेरकर लक्ष्मीनारायण तिवारी ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर वसूली आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि शासकीय कर्मचारी के रिटायरमेंट के 6 माह के अंदर ही देयकों की वसूली की जा सकती है। इसके बाद वसूली करना नियमों के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम, 1976 के नियम 65 का हवाला देते हुए बताया गया कि यदि किसी शासकीय सेवक के जीपीएफ खाते में ऋणात्मक शेष पाया जाता है।

ज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भी देश में विशेष पहचान बनाएगा छत्तीसगढ़ : मुख्यमंत्री साय

रायपुर, 10 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ ज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भी देश में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य को ज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। आधुनिक अधोसंरचना, प्रभावी ई-गवर्नेंस प्रणाली और निवेश-अनुकूल नीतियों के चलते छत्तीसगढ़ आज आईटी, आईटीईएस एवं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों के लिए एक भरोसेमंद और आकर्षक गंतव्य के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना



प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एवं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एस टी पी आई) के मध्य हुए महत्वपूर्ण समझौता ज्ञान (एमओयू) उपरत कार्यक्रम को संबंधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि युवाओं में उद्यमिता विकसित करने और उन्हें आईटी एवं आईटीईएस जैसे क्षेत्रों में

इंटरनेट, वन एवं औषधीय उत्पाद आधारित मेडटेक, स्मार्ट सिटी समाधान तथा स्मार्ट कृषि जैसे चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार और स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी, जो प्रति वर्ष लगभग 30 से 40 हार्डवेयर स्टार्ट-अप और एमएसएमई को प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोटोटाइपिंग, कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण की सुविधाएं प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस पहल से प्रदेश के युवाओं को राज्य के भीतर ही इनव्यूबेशन, मेंटरशिप, फंडिंग और आधुनिक प्रयोगशालाओं की सुविधा उपलब्ध होगी।

शिवरीनारायण मेले में बड़ा हादसा.. आकाश झूला टूटने से 6 लोग गिरे, 2 युवतियों की हालत नाजुक, महिला समेत 3 अन्य घायल



हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद लोगों और प्रशासन की मदद से एंबुलेंस बुलाकर सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, घायल युवतियां मलदा गांव की रहने वाली हैं, जो मेला घूमने शिवरीनारायण आई थी। घायलों की पहचान चंद्रकांता कश्यप और भूमिका कश्यप के रूप में हुई है।

आईएस अंकित को सीआरडीए के सीईओ का मिला अतिरिक्त प्रभार

रायपुर, 10 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ शासन ने एक अहम प्रशासनिक निर्णय लेते हुए वर्ष 2006 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएसएस) अधिकारी अंकित आनंद को छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (सीआरडीए) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। अंकित आनंद वर्तमान में राज्य शासन में कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वे सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पदस्थ हैं। इसके साथ ही उन्हें अतिरिक्त प्रभार के रूप में सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा सचिव, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग की



जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसके अलावा वे अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के रूप में भी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। राज्य शासन ने उनके व्यापक प्रशासनिक अनुभव और कार्यक्षमता को देखते हुए उन्हें

सीआरडीए के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण राजधानी रायपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों के सुनियोजित विकास, आधारभूत संरचनाओं के विस्तार, आवासीय एवं व्यावसायिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रशासनिक हलकों में इस निर्णय को राजधानी क्षेत्र के विकास कार्यों को गति देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अंकित आनंद के पास शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण और आईटी से जुड़े विभागों का अनुभव होने के कारण सीआरडीए की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

भूपेश बघेल सहित 3 कांग्रेस नेताओं पर 500 करोड़ का मानहानि केस दर्ज

रायपुर, 10 फरवरी 2026। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह, भूपेश बघेल और गौरव गोर्गोई के खिलाफ मानहानि का केस किया है, जिसमें 500 करोड़ के हर्जाने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर पोस्ट करते हुए कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तीनों नेताओं ने जानबूझकर उनके खिलाफ झूठे, गलत इंगारे वाले और बदनाम करने वाले आरोप लगाए। गौरतलब है कि 4 फरवरी को असम कांग्रेस के प्रेसिडेंट गौरव



गोर्गोई ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के परिवार ने राज्य में करीब 12,000 बीघा जमीन पर गैर-कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है, जो 3,960 एकड़ से ज्यादा एरिया में फैला है।

पड़ा है। इस बैकग्राउंड में, जमीन से जुड़े आरोप सामने आने के बाद यह मुद्दा और भी गरमा गया है। इन आरोपों के जवाब में मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि वे गौरव गोर्गोई समेत कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कानूनी मानहानि का केस चलाएंगे। इस बीच, गोर्गोई ने पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री के इस कदम को घबराहट का संकेत बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अगर मुख्यमंत्री में हिम्मत है, तो उन्हें झरणा लेने के बजाय कोर्ट में खुलकर लोगों का सामना करना चाहिए।